The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 18 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R.L. BHATIA: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Now we will take up the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993; the Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1993; the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993, and the Uttar Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993. All these Bills will be discussed together. Dr. Abrar Ahmed to move the motions for consideration of these Bills.

श्री चतुरानन मिश्र : मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि कब तक हाउस चलेगा, यह बता दीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : जनरली 6 बजे तक बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया हुआ है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): If necessary, beyond 6 O' clock.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): मैं कहने लगी थी, जनरली हमने 6 बजे तक के लिए तय किया है और साथ में यह तय किया है कि आवश्यकता होगी तो 6 बजे के बाद भी बैठेंगे । हाउस की सेन्स 6 बजे के बाद के लिए तो है ही ।

श्री चतुरानन मिश्र : सदन से पूछ लीजीये ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): बताइये सदन की क्या सम्मति है? मंत्री जी कल रिप्लाई देने की बात कर रहे हैं ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आज पास कर दें... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आज पास होने का सवाल ही नहीं है। वह कल रिप्लाई देंगे। इसलिए तय कीजिये कि 6 बजे तक बैठेंगे या 6 बजे के बाद भी बैठेंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : 6 बजे तक बैठेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : 6 बजे तक बैठेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक है हाउस 6 बजे तक चलेगा। मंत्री जी आप मोशन मूव करिये ।

---

(1) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(2) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(3) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

(4) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"वित्तीय वर्ष 1934-94 की सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य

[डा० अबरार अहमद]

की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

"वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये"।

"वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

"वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, वर्ष 1993-94 के लिए इन राज्यों के बजटों को 12 मार्च, 1993 को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और सितम्बर, 1993 को समाप्त होने वाले पहले छः महीनों के लिए इन राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया था तथा मार्च, 1993 में विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993 पारित किए गए थे।

लोक सभा ने इन राज्यों की अनुदानों की मांगों की शेष राशि की मंजूरी दी थी और संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित किया था, जो अब सदन के सम्मुख है। चालू वर्ष के दौरान कुल अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए विधेयकों में (i) हिमाचल प्रदेश के संबंध में 1831.06 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल है जिसमें 1455.84 करोड़ रुपये लोक सभा द्वारा स्वीकृत और 375.22 करोड़ रुपये राज्य की समेकित निधि पर भारित है। (ii) मध्य प्रदेश के संबंध में 9970.68 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल है, जिसमें 7873.41 करोड़ रुपये लोक सभा द्वारा स्वीकृट और 2097.27 करोड़ रुपये राज्य की समेकित निधि पर भारित है, (iii) उत्तर प्रदेश के संबंध में 19734.81 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल है जिसमें 15140.73 करोड़ रुपये लोक सभा द्वारा स्वीकृत और 4594.08 करोड़ रुपये राज्य की समेकित निधि पर भारित है और (iv) राजस्थान के संबंध में 7711.11 करोड़ रुपये की कुल राशि शामिल है जिसमें 6252.22 करोड़ रुपये लोक सभा द्वारा स्वीकृत और 1458.89 करोड़ रुपये राज्य की समेकित निधि पर भारित है, समेकित निधि से अदायगी और विनियोग के लिए व्यवस्था की गई है और इन राज्यों के विनियोग (लेखानुदान), अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत निकासी के लिए पहले प्राधिकृत राशियां शामिल है।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): अभी मोशन मूव हो रहा है।

श्री शंकर दयाल सिंह: मोशन मूव हो रहा है तो गलत कैसे होगा? आप मेरी बात सुन लें। मंत्री महोदय हिन्दी में विनियोग विधेयक चारों राज्यों के रख रहे हैं। विनियोग विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए आप पढ़ रहे हैं। हम लोगों को हिन्दी कापी आई है उसमें साफ तौर से एक खरब, सत्तानवे अरब, चौतीस करोड़, इक्यासी लाख और नौ हजार उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि जब हिन्दी में प्रस्तुत कर रहे हैं तो विनियोग विधेयक में जिस तरह से लिखा हुआ है उसके अनुसार उनको रखना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): वह तो अभी भारित वाला पढ़ रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह: दूसरी बात यह है कि आज की यह जो कार्यसूची हमारे पास दी गई है, उस कार्यसूची में आप देखें। आज जो सदन के सामने हमारी कार्यसूची है उसमें उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, राजस्थान विनियोग विधेयक और हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक क्रम से लिखे गये हैं। मंत्री महोदय जो यहां मूव कर रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। मैं वैधानिक रूप से कहना चाहता हूं कि जो आर्डर पेपर है, उसको फॉलो करना चाहिये। आर्डर पेपर फॉलो करने से सुविधा रहती है उनके लिए भी और हमारी समझदारी के लिए भी। जब आर्डर पेपर बना है पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, और फिर तीन राज्यों के नाम हैं, वैसे भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इसका अनुसरण करना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): अपने बहुत ही तकनीक का प्रश्न उठाया है। अगर इन चारों विनियोग विधेयकों पर चर्चा अलग-अलग होनी होती, तब यह वैधानिक प्रश्न बन जाता क्योंकि यह कार्यावली में पहले उत्तर प्रदेश विधेयक पर चर्चा होनी है, तो वह पहले लेते। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि चारों पर चर्चा इकट्ठी होनी है, तो अगर मंत्री महोदय ने थोड़ा बहुत हेर-फेर भी कर दिया है वर्णानुक्रम में........(**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह: हेर-फेर तो सरकार करती है। मैं अबरार साहब को हेर-फेर में नहीं मानता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आप मेरा पूरा वाक्य सुनिये। मैंने कहा कि हेर-फेर कर दिया है वर्णानुक्रम में—पूरा वाक्य सुनिये, अगर वर्णानुक्रम से कोई तब्दीली हो गई है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

अगर चारों विनियोग विधेयकों पर चर्चा एक साथ न हुई होती, तो यह मामला बहुत ज्यादा वैधानिक होता, यह व्यवस्था का प्रश्न बनता। ....(**व्यवधान**)

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): हेर-फेर में क्या फर्क पड़ता है इन्हें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): वार्णानुक्रम के हेर-फेर में कुछ आई-ब्रोज ऊपर करके मत देखिये।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मंत्री जी, आप मोशन मूव करिए। .... (व्यवधान) अब आप रहने दीजिए।

श्री महेश्वर सिंह: मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिमाचल तो भारत माता का मुकुट है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): हां, बिलकुल ठीक है।

डा० अबरार अहमद: मार्च, 1993 में इन राज्यों के विनियोग विधेयकों पर चर्चा करते हुए इस समय .... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): वर्णानुक्रम में हेर-फेर हो रहा है, जी।

डा० अबरार अहमद: महोदया, मार्च 1993 में इन राज्यों के विनियोग विधेयक पर चर्चा करते समय इस सदन ने उनके 1993-94 के बजटों पर आम चर्चा की थी। इसलिए में बजट के विभिन्न उपबंधों पर पुन: वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। तथापि मैं अपने उत्तर में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों से निपटने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।

The questions were proposed.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्षजी, यह उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक संख्यांक (2) विधेयक, 1993 जो हमारे सम्मुख विचार और लौटाये जाने के लिए प्रस्तुत है, उसी तक मैं अपने को सीमित रखूंगा। वैसे ही यह वैधानिक व्यवस्था के अनुसार है और एक तरह से यह रस्म ही है। जिस प्रकार से तीन राज्यों के संबंध में एक सम्मिलित रेजोल्यूशन जो मूव किया गया है, उसी से यह जो औपचारिकता प्रकट होती है और खास कर उत्तर प्रदेश या इन तीनों राज्यों के संबंध में वही बात, मैं समझता हूं उपयुक्त है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि औरों के संबंध में दूसरे साथी बोलेंगे--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वहां कि जनता की आवाज़ वैसे ही बंद की जा चुकी है। अतएवं, वहां की जो समस्याएं है, ... (व्यवधान)

(उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) पीठासीन हुए)

...वे इस सांख्यिकी हेर-फेर के द्वारा प्रकट हो सकती है, या नहीं, मैं नहीं जानता।

वैसे जहां तक कि मोटे तौर पर मुद्दों का सवाल है, वह तो शेडूल में दिये गये हैं। उचित यह होता कि यदि माननीय मंत्री जी कुछ पहले और भी अधिक ब्यौरा दे सकते कि किन मुद्दों पर, किन नीतियों पर, किन कार्यक्रमों पर इसको खर्च किया गया है और किस प्रकार की प्रगति हुई है, तो उससे हम कुछ और अधिक आश्वस्त हो सकते क्योंकि यह एक वैधानिक व्यवस्था है, आवश्यकता है और उसी की औपचारिकता तो हमें पूरी करनी ही है और जहां तक इस सदन का प्रश्न है, हम विचार कर सकते हैं और उसके उपरांत तो हमें इसे भेजना ही है।

इसीलिए मैं कुछ मुख्य पक्षों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिससे यह भी प्रकट होता है कि किस प्रकार की एक, यदि हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में किसी नीति संबंधी कोई स्पष्टता नहीं

है कि किस दिशा में प्रशासन जा रहा है। उस दिशा का कोई बोध नहीं है और जो तरह-तरह की वहां पर स्कीम्स वहां की जनप्रिय सरकार ने जो प्रारंभ की थीं, उनको किस प्रकार बीच में छोड़ दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ स्कीम्स की ओर दिलाना चाहूंगा, केवल उदाहरण के तौर-तरीके से और पहली तो है कि एक छोटी सी स्कीम बनी थी मिनि-डेयरी स्कीम, जिसको कि 19 जिलों में लागू किया गया और मैं उन्हीं स्कीम्स का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के संबंध में यहां पर बहुत कुछ बात हुई है। वे स्कीम्स 29 जिलों में प्रारंभ होनी थी, हो भी गई थी, मगर वे बीच में अधूरे में लटक रही है। महोदय, उसी प्रकार से एक और रोजगार देने की योजना थी। हम रोज कितनी ही योजनाओं की बात करते हैं जिनमें कि वास्तविकता हो, लेकिन खेद इस बात का है कि उस योजना का नाम दीनदयाल रोजगार योजना रखा गया था, वैसे जवाहर रोजगार योजना तो चल ही रही है, लेकिन उसे भी शायद नाम के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया।

यहीं नहीं, वहां पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है। पांच हजार किलोमीटर लंबी एक "कैनाल स्कीम" योजना प्रारंभ की गयी थी, लेकिन उसका भी भविष्य अनिश्चित है और पता नहीं उसमें क्या प्रगति हो रही है? दूसरी एक और 30 करोड़ रुपए की स्कीम थी कि जो अनएम्प्लाइड या किसी प्रकार से अंडर-एम्प्लाइड लोग हैं जिनके पास कम एम्लायमेंट है और जिनके पास बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वह स्कीम थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां किसानों की बहुत बात होती है और उनकी समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, एक किसानों के लिए "किसान सेवा केन्द्र" की योजना थी जिससे कि किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके और उनको न लखनऊ जाने की जरूरत हो और न दिल्ली में अपने सांसदों के पास आने की आवश्यकता हो, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। वह स्कीम तो काम करने की एक शैली थी, मगर उसको भी छोड़ दिया गया क्योंकि पूर्व सरकार ने उसको चालू किया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वैसे तो "सिंगल डिलीवरी सिस्टम" और "एक विंडो सिस्टम" नाम से बहुत-सी स्कीम्स आ चुकी हैं और ये नाम भी बहुत प्रचलित हैं, लेकिन एक और स्कीम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू की थी जिसका कि नाम था "सिंगल टेबल सिस्टम" इसमें जो भी उद्योग-धंधे स्थापित करने की इच्छा से लोग आते है और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वह एक कमरे में ही नहीं, एक प्रांगण में ही नहीं बल्कि एक ही जगह, एक मेज पर अलग अधिकारी आए और उन समस्याओं का निराकरण करे और वहां समन्वय और सामंजस्य हो सके क्योंकि उसी कारण से बहुत-सी दिक्कतें आती है, पर उस स्कीम के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया और उसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आपका ध्यान

[श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी]

दिलाना चाहता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मसूद साहब उपस्थित है। उन्होंने अपने दिल के दर्द को बताया था। रामनरेश यादव जी यहां नहीं है, उत्तर प्रदेश में जहां तक अकाल की समस्या है, वह पैदा नहीं हो रही है, उपज नहीं रही है बल्कि वहां पर व्याप्त है और उसकी भयंकरता का उल्लेख यहीं आपके और हमारे सामने किया था। मैं उसके अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन्होंने स्वयं यह बताया था। राज्यपाल महोदय का यह कहना है कि कलेक्टरों से रिपोर्ट नहीं आ रही है, भारत सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकार से रिपोर्ट नहीं आ रही है। अब 1935 का गार्वनमेंट आफ इंडिया का जो ऐक्ट था, उसमें तो वह गवर्नर का शासन कहलाता था और अब हमारे संविधान में वह राष्ट्रपति का शासन कहलाता है, वहां राष्ट्रपति शासन है और हम यहां उत्तरदायित्व की बात करते ह, रिस्पांसिबिलिटी और एकाउंटेबिलिटी, ये शब्द रोज इस्तेमाल किए जाते हैं और यही इस बात के परिचायक हैं कि किस प्रकार की एका-उंटेबिलिटी और रिस्पांसिवनेस वहां पर हमारे सामने है। महोदय, कठिनाई यह है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश और विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरह से लगभग 40 जिलों में सूखे की आग लगी हुई है और जब भी आप वहां का अखबार पढ़ेंगे और दिल्ली से छपनेवाले अखबार पढेंग तो वहां की सही स्थिति हमारे सामने आती है। महोदय, अभी दो-तीन दिन पहले यहां जो विचार-विमर्श हो रहा था, उसमें भी कोई स्पष्टीकरण उसके संबंध में नहीं दिया गया और न कोई आश्वासन ही दिया गया। मैं ससझता हूं कि मसूद साहब उसके संबंध में जरूर कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो यही कह सकता हूं कि वहां पर आग लगी हुई है, लेकिन नई-नई योजनाओं का हर रोज उल्लेख किया जा रहा है तो इसके लिए यही कहा जाता है कि, "व्हाइल रोम इज बर्निंग, नीरो इज फिडीलिंग"। जब वहां आग लगी हुई है, हम बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बांसुरी बजाकर हम भोली जनता को गुमराह करेंगे, खाली सब्जबाग दिखा सकेंगे, भले ही नतीजा उसका कुछ भी हो। इसके अति-रिक्त में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर किस प्रकार से बिजली की समस्या है। उसके संबंध में भी बहुत कुछ यहां पर कहा गया है लेकिन कम से कम उस सरकार ने इस बात की व्यवस्था की थी कि अनइन्टरप्टिड सप्लाई, बिना किसी व्यवधान के 18 घंटे कम से कम बिजली प्राप्त होगी, मगर अब जो हालत है उसके संबंध में मुझे कोई अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप उससे अच्छी तरह से परिचित है। यह केवल में निवेदन करना चाहता हूं कि 51.15 प्रतिशत जो वहां पर दिसम्बर तक पावर जनरेशन था, उत्पत्ति थी, वह अब कम होकर केवल 42 प्रतिशत रह गई है। उसमें सुधार होने के स्थान पर उसमें बराबर कमी आ रही है। इसी से आप समझ सकते है, किसानों की हम दुहाई देते हैं, कि किस प्रकार से उनको और किसी प्रकार की राहत मिल सकती है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं और मैं समझता हूं कि हम और अधिक पैसे की जो सवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुसार कर भी दें तो आगे क्या हो सकता है।

एक मैं और निवेदन करना चाहता हूं, कहा तो यह जा रहा है, नई-नई स्कीमों के बारे में तरह-तरह की स्कीमों के बारे में रोज घोषणाएं की जा रही हैं पर यह पता नहीं है, इस मितव्ययता के जमाने में, पैसे की कमी के जमाने में हमारे वित्त मंत्री महोदय चले गए हैं, स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन के संबंध में उन्होंने कहा था और बड़े पुराने सत्य की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया था कि "मनी इज़ नाट ग्रो आँन ट्रीज़", मैं समझता हूं कि शायद आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक से सहयोग करने के उपरान्त यह टेक्नीक भी संभव हो सके कि पेड़ों के ऊपर भी रुपया उगना प्रारम्भ हो जाए। मगर पैसा कम है और अगर पैसे की कमी है तो आप जो नई योजनाओं की घोषणाएं करते हैं, मगर उसके पीछे वित्तीय सहायता की जो आवश्यकता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं जो पुरानी हमारी स्कीमें पड़ी हुई है, कार्यक्रम पड़े हुए है, योजनाएं पड़ी हुई हैं, उन्हीं को पूरा नहीं किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि आपका हाथ घंटी की तरफ जा ही रहा था। मैं एक बात और पीने के पानी की समस्या के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पानी पूरे देश की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या है, लेकिन विशेषतया में दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो गाजीपुर जैसे शहर में, वहां पर भी सीवेज से पानी और पानी की कमी इस हद तक है कि सीवेज का पानी उसमें जा रहा है। यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, केरल की ही समस्या नहीं है, छोटे-छोटे जो जिले हैं, उनमें भी इस प्रकार की समस्या है, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, दोआबा में, गंगा और यमुना के बीच में तो बड़ी फर्टाइल ज़मीन समझी जाती है, मगर वहां पर भी, गांवों में पीने के पानी की कमी है। या तो ट्यूबवैल चलते नहीं है या ट्यूबवैल की वजह से पानी इतना नीचे चला गया है कि लोगों को इसमें एक विशेष कठिनाई हो रही है और ये सब गांवों की समस्याएं हैं।

एक बात की ओर में और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, विवरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर इसके विवरण में जाऊं तो बहुत अधिक समय लगेगा, कि जिनको हम पब्लिक अंडर-टेकिंग्स कहते हैं या सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके संबंध में भी क्या व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था से मेरा मतलब केवल यही नहीं है कि या तो उनको त्रिशंकु की तरह टांगे रखा जाए या उनका नुकसान होता रहे, बल्कि अगर एक दृढ निश्चय किया जाए कि जो उपयोगी नहीं हें उनको बंद करना है या एक सक्रिय स्कीम बनानी चाहिए कि किस ढंग से उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पुन: यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस उद्देश्य से हमारे यह जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उपक्रम हैं, रोजगारी के लिहाज से और जो उसके उद्देश्य हैं, उनको पूरा किया जाए और वे सही ढंग से चल सकें।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और वह यह है कि एक तरह से वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह बिल्कुल समाप्त हो गई है और इस बारे में एक-दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक खेद की बात यह है कि वहां पर जैसे एक प्लानिंग बोर्ड राज्यों में होता है, वहां पर प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन

[श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी]

किसको बनाया जा रहा है। एक राजनीतिक पार्टी के जो नेता थे, वह विरोधी दल के भी नेता नहीं थे, वह एक पार्टी के नेता थे। उसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं ···(व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : चतुर्वेदी जी, एक पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं? कहिए ना कांग्रेस के हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : उनको तो खुद ही पता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वह अपने आप समझ जाएंगे। वैसे वे बड़े समझदार हैं। इसलिए इस बात को वह समझ सकेंगे। उसी प्रकार से और भी कमेटियों की नियुक्तियां हैं लेकिन मैं जिक नहीं करना चाहता। यह भी राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है। जिस प्रकार से वहां पर लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, खासकर अधिकारियों के, लोग वहां यह कहते हैं कि नोट और चिट, माल फिट। एक चिट ले आओ और एक नोट ले आओ और माल फिट हो जाएगा। इस तरह की वहां पर बात चल रही है।

ऐडवाइज़ेर्स भेजे जाते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप स्वयं अखबार पढ़ते रहे हैं। ऐडवाइज़र्स अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग अलापते हैं। जो जिसकी मरजी आए, वही करता है। आपस में कोई समन्वय नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chaturvedi, you have to conclude. There are four speakers from your party. The time allotted is 30 minutes.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : महोदय, आपकी अनुकंपा और आदेश, दोनों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो भी वहां का प्रशासन है, उसको इस प्रकार से शिथिल किया गया है कि वह चल नहीं सकता। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इस तरह कोई भी व्यवस्था आप नहीं चला सकते। जो भी आपने पैसा लिया है इस बिल के द्वारा, मैं समझता हूं कि न उसका सही उपयोग हो सकता है और न सही उद्देश्य के लिए उपयोग हो सकता है और न ही आप बाकी योजनाओं को सफलीभूत कर सकते हैं। जब तक कि आप अधिकारियों को अधिकार नहीं देते और उनके ऊपर ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं रखते, अनुशासन से कार्य नहीं करते। अगर आप केवल राजनीतिक दृष्टि से काम करेंगे और राजभवन जो है वह प्रशासन को सही रास्ता न दिखाकर, उन पर दबाव डालता रहेगा तो मैं समझता हूं कि कितनी ही हम व्यवस्था करते रहे, जहां तक उस राज्य की जनता का सवाल है, उसको किसी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती है।

श्री सुशील बरोंगपा (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह ऐप्रोप्रिऐशन बिल जो आया है, मैं इसके समर्थन में बोलना चाहूंगा। महोदय, हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो बातें हैं, मैं उन्हीं तक अपने को सीमित रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इनिशियेटिव लेकर ट्रक वालों की हड़ताल खत्म कराई। इस स्ट्राईक के खत्म होने की वजह से हिमाचल के हमारे बागबानी करने वाले भाइयों को बड़ी राहत पहुंची है। पिछले साल इस हड़ताल की वजह से हिमाचल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उनके बहुत सारे फल खराब हो गए थे और उनको लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। तो केन्द्रीय सरकार के अलावा मैं अन्य

राज्य सरकारों को भी बताई देना चाहूंगा जिन्होंने एक सितंबर से पथकर समाप्त करने की घोषणा की है।

महोदय, इसके अलावा जो बर्फ और बारिश की वजह से हमारे प्रदेश को नुकसान हुआ है, उतना इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। करीब 44 आदमी इस बाढ़ और बारिश की वजह से मरे और कई हजार भेड़-बकरियां और अन्य मवेशी हताहत हुए। जंगलात को भी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो सहायता दी है, करीब 22 लाख रुपए की सहायता दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन-जिन घरों में मौतें हुई हैं, उनके घर वालों को 50-50 हजार रुपया दिया गया है। जो टोटल एक्यूमुलेटेड लास है वह 400 करोड़ रुपए से ऊपर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे तो लास की ब्यौरा हमने उनके सामने रखा और कहा कि हमें मदद मिलनी चाहिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे हिमाचल के लिए पूरी पूरी केन्द्रीय सरकार मदद देगी।

महोदय, पीछे हमारे यहां सर्वे हुआ था, सेन्ट्रल टीम वहां आई थी। 5 डिस्ट्रिक्ट में खासकर जो ऐफेक्टेड थे वहां उन्होंने सर्वे किया था। वह मेरे जिले में भी आने वाले थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ सके। मेरे जिले में एक साल में एक ही फसल होती है। रबी क्राप हमारे यहां पर नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बात को खास तौर से नोट करे और जब अलोकेशन का फाइनेलाइजेशन करें तो मेरे जिले के लिए पूरा ध्यान दें।

दूसरी बात में टूरिज्म के संदर्भ में कहना चाहूंगा क्योंकि वह प्रोयोरिटी सेक्टर में आता है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट पेश करते समय कहा था कि हिमाचल में टैक्स हालिडे दिया जाएगा। लेकिन जहां तक टूरिज्म के 'ऐक्शन प्लान' का सवाल है, टूरिज्म ऐक्शन प्लान में कुछ और तरह का एक्जेंपशन वह देते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें टैक्स की माफी चाहिए तो वह कहते हैं कि यह जो टैक्स एक्जेंपशन है यह सेक्शन 81-ए आफ इनकम टैक्स के अन्तर्गत दिया जाएगा, स्पेशली रूरल एरियाज और प्लेस आफ पिलग्रिमेज के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि टैक्स पूरे हिमाचल प्रदेश में कम होना चाहिए क्योंकि वहां पर टूरिज्म को इंडस्ट्री माना गया है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि टूरिज्म से संबंधित जितने भी स्थान हैं उनमें पूरा टैक्स ऐक्जेंपशन मिलना चाहिए। तभी टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा।

टूरिज्म के संबंध में ही एक और दरख्वास्त में करना चाहूंगा कि मैनाली में एक कंप्यूटराइज्ड इंफोर्मेशन सेंटर खोला जाए क्योंकि इससे जनरल इंफोर्मेशन के अलावा जो भी टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ऐडवेंचर स्पोर्टस के लिए आते हैं उन को हर तरह की इंफोर्मेशन दी जा सके खासकर हिली वेदर कंडीशन के बारे में। इस साल बारलाचा, पौर रोहतांग के पास 400 से 500 तक पर्यटक बर्फ के कारण फंस गए थे। अगर उनको वेदर कंडीशन के बारे में इंफोर्मेशन होती तो ऐसे लोगों को प्रायर इंफोर्मेशन देकर उनका बचाव हो सकता है। इसके अलावा यह जो इंफोर्मेशन सेंटर है, मैं समझता हूं यह मीडिया का जो गलत प्रचार होता है उसको रोक सकता है। इस दौरान में

[श्री सुशील बरोंगपा]

जब बर्फबारी हुई थी तो मीडिया ने बहुत गलत ढंग से प्रचार किया। उसका इतना असर हुआ कि जितने भी टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आने वाले थे, हालांकि 10-15 दिन में ही नार्मलसी रेस्टोर हो गई थी, लेकिन मीडिया के गलत प्रचार के कारण टूरिस्टों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जो कमरे हमारे यहां 500 रुपए में लगते थे वह अब 50 रुपए में भी नहीं लग रहे हैं। बैंकों से जो कर्जा लोगों ने ले रखा है उसकी इंस्टालमेंट भी उनके पास देने के लिए नहीं है। इसलिए मैंनाली में एक कंप्यू-टराइज्ड इंफोर्मेशन सेंटर खोलना चाहिए। वहां से जम्मू काश्मीर में भी जो लोग जाना चाहते हैं लदाख के जरिए, उनको भी इंफोर्मेशन मिल सकेगी।

इसके अलावा मैं दरखवास्त करना चाहूंगा कि जो सपोर्ट प्राइस हमारे यहां मिलती थी सेब की फसल के समय, वह इसलिए दी जाती थी कि हमारे यहां जो आड़ती बैठे हैं वह बागवानी वालों का ऐक्सप्लायटेशन न करें। जैसे पुराने सालों में ऐपल सीजन शुरू होते ही सपोर्ट प्राइस डिक्लियर कर दी जाती थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मार्केट इंटरवेंशन के तहत 50 पर-सेंट सरकार मुहैया करने की कोशिश करे।

अब मैं अपने ट्राइबल एरियाज के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल सब-प्लान हुआ करता है इसके अंतर्गत एक न्यूक्लियस बजट होता है। इस बजट में कुछ पैसा रखा जाता है। इंटेग्रेटेड ट्राइबल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उस पैसे को बांटा जाता है। हमारे तीन जिलों में इंटेग्रेटेड ट्राइबल डवलपमेंट प्राजेक्ट जो है उनको करीब 7-7 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैं समझता हूं अगर 15 लाख रुपए प्रति आईटीडीपी कर दिया जाए तो जो काम वहां चल रहा है इससे बढ़ावा मिलेगा। आजतक का उनका जो रिजल्ट है यानी जो उन्होंने काम किया है वह बहुत अच्छा है। हमारे ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल के मेम्बर होते हैं, एमएलए होते हैं, चेयरमैन डिप्टी कमिशनर होते हैं, पंचायत के सारे प्रधान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एडावाइजरी कमेटी के अंदर। उनके इन्वाल्वमेंट को देखकर, उनके काम को मद्देनजर रखते हुए प्रति इंटेग्रेटेड ट्राइबल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 15–15 लाख रुपए देने चाहिए।

जहां तक वहां पर बीजेपी की सरकार का सवाल है जो उन्होंने वहां पर 33 महीने तक राज किया है मैं समझता हूं वह मिसरूल था।

माननीय सदस्य : क्या किया उन्होंने ?

श्री सुशील बरोंगपा : कहने मत दीजिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप हमारे मित्र हैं: उनके जमाने में एपल ग्रोअर्स पर टैरर छाया हुआ था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इन्नोसेंट लोगों को राज्य की पुलिस द्वारा मारा गया था। जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज थे उनको हरैश किया गया। ऐसा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

इसके अलावा एक बार नहीं अनेकों बार छोटी-छोटी बातों को लेकर मिलिट्री को रिक्वीजिट किया गया। लोग उस टाइम की ज्यादतियों को भूले नहीं हैं। इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं। इसका जवाब वहां की जनता इनको देगी।

अंत में एडीशनल देने के बारे में कहना चाहता हूं। रीसेन्टली केन्द्र सरकार ने 8.65 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश

को दिए हैं। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और उनसे दर्खास्त की थी कि इस स्टेट के डवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जो 8.65 करोड़ रुपया दिया गया है यह डवलपमेंट के लिए बहुत कम है। और इसका बंडवारा भी थोड़े से इलाके में हुआ है। हमारे बाकी अधिकांश क्षेत्र हैं उनके लिए पैसा नहीं मिला है। उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से दर्खास्त करना चाहता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कोई हर्ष की बात नहीं है कि देश के 4-4 महत्वपूर्ण राज्यों का विनियोग विधेयक पार्लियामेंट में पेश हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि देश का 1/3 हिस्सा इन चार राज्यों से बनता है। अगर हम पापुलेशन को देखें तो इन चार राज्यों की आबादी 25 करोड़ 38 लाख 88 हजार बनती है। जम्मू-कश्मीर को भी ले लीजिए जिसका अलग से विनियोग विधेयक आने वाला है। देश के इतने बड़े हिस्से में राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य की अपनी सरकार न हो, जनतंत्र को बिल्कुल ही दफना दिया गया हो, केन्द्र से ही वहां का प्रशासन चलाया जाए, वहां की बागडोर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति शासन लागू करके संभाले यह कोई अच्छी बात जनतंत्र के लिए नहीं है।

जनतंत्र के लिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो राज्य और राष्ट्र तथा राज्यों के लिए विधान मंडल और केन्द्र के लिए संसद की संरचना की थी तो उनका यह मानना था कि राज्य का प्रशासन राज्यों के द्वारा ही ठीक से होगा। पिछले दिनों राष्ट्रपति का शासन हुआ। उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ियां हुई, हमारे भाइयों ने जो कुछ करवाया या किया उसकी आंच में तीन राज्य और भी चले गए। उन पुरानी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने इन चार राज्यों के जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं और माननीय राज्य मंत्री अबरार अहमद साहब ने प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने अरबों और खरबों का नाम नहीं लिया, केवल करोड़ कहा। आप देखें कि उत्तर प्रदेश का जो विनियोग विधेयक आपने प्रस्तुत किया है वह 1 खरब, 97 अरब, 34 करोड़ 81 लाख और 9 हजार रुपयों का है। मध्य प्रदेश का 99 अरब 70 करोड़ 68 लाख और 35 हजार रुपयों का है। राजस्थान का 77 अरब 11 करोड़ 10 लाख और 77 हजार रुपयों का है और हिमाचल प्रदेश का 18 अरब 31 करोड़ 46 लाख और 49 हजार रुपयों का है। अब आप एक बात की ओर देखें। अपने इतनी बड़ी रकम रख दी। सबसे पहले में यह जानना चाहता हूं कि आप विनियोग विधेयक की मंजूरी कराएं, इनको पास करें, उसके साथ साथ आप इस सदन में इस बात की घोषणा जरूर करें कि वहां आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं? क्या केन्द्रीय शासन इसी तरह से चलता रहेगा और इस तरह से विनियोग विधेयकों पर हम चर्चा करते रहेंगे और वहां यह अस्त-व्यस्तता चलती रहेगी? मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस राज्य में राष्ट्रपति का शासन होता है, मैं इस बात को मानता हूं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन में सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। राष्ट्रपति का शासन जब यहां से हो रहा है तो कम से कम इतनी दूरदर्शिता तो केन्द्र सरकार अवश्य

[श्री सुशील बरोंगपा]

दिखलाएगी कि वहां चार राज्यों में जहां पर बी०जे०पी० की सरकारें थीं जिनके बारे में कांग्रेस वाले यह इल्जाम लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रशासन में साम्प्रदायिकता का जहर घोल रही है वहां केन्द्र सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। मेरे जैसे व्यक्ति को यह अपेक्षा थी कि केन्द्र द्वारा ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे भविष्य के लिए आने वाली सरकारों के लिए सबक मिलेगा। पिछले दिनों इन चार राज्यों में जो हिन्दी भाषा-भाषी राज्य हैं और जहां सब से ज्यादा अखबार निकलते है, बिकते हैं और पढ़े जाते हैं वहां की दशा-दिशा को समझने के लिए हर राज्य के दो तीन अखबारों को मैं जरूर प्रतिदिन पढ़ता हूं। हम देख रहे है कि राष्ट्रपति शासन में वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि वहां पर साम्प्रदायिकता का जहर कुछ कम नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि वहां पर लूटपाट सीनाजोरी, हत्यायें, बलात्कार और अपहरण की संख्या बहुत बढ़ी है। मैंने वहां देखा कि केन्द्रीय सरकार को अपनी राजनीति से फुरसत नहीं है। वहां पर कोई भी मंत्री जाकर नहीं देखता कि प्रशासन की क्या स्थिति है? क्या केन्द्र की यह जवाबदेही नहीं है? ये चार राज्य ग्रामीण स्थिति के राज्य है। इन चार राज्यों में शहर भले ही हों, लेकिन महानगर कोई नहीं है जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे महानगर हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनता के लिए अपने कौन से काम किए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या ग्रामीण उद्योग बढे हैं? ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो सबसे बड़ी देन था उस क्षेत्र में आपने क्या काम किया है? युवकों के लिए स्व-रोजगार का कार्यक्रम था जिसके बारे में ढिंढोरा पीटा गया उसमें आपको कितनी उपलब्धि मिली? ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यहां तो बहुत चला लेकिन उस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति क्या हुई? जवाहर रोजगार योजना, जिसके बारे में पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ रेडियो और टेलीविजन पर बात कही जाती रही है, उसमें आपकी ओर से कौन सा कार्य हुआ? सबसे बड़ी जो समस्या है, पेय जल की देहातों में, उस संबंध में आपने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? भूमि सुधार को लेकर इन राज्यों हिन्दी बेल्ट के राज्य जो हैं, यहां पर सब से बड़ी समस्या भूमि सुधारों की है जिसको लेकर वहां पर कई हिस्सों में आतंकवाद भी पनपा है, इस संबंध में कितना कार्य हुआ? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो विशेष कार्यक्रम देने की बात कही जाती रही है, यह बात बार बार सदन में कही जाती है, उस संबंध में समग्ररूप से आपने कौन सी योजना बनाई है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो एक सबसे बड़ा विकास का अंग माना जाता है, उसमें आपने कौन सा कार्य किया और अंत में पर्यटन विकास जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ा और सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था का आधार है, इस दिशा में आपने कौन सी प्रगति की है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो आप यहां विनियोग विदेयक लाए हैं, इसमें जो सरकारी आंकड़े आपने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उन आंकड़ों को सुनने, समझने कौन जाता है, उनमें कुछ होता नहीं।

उपसभाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश 11-12-13 करोड़ की आबादी का राज्य है। यह इतना बड़ा राज्य है कि इसमें कई छोटे छोटे राष्ट्र समाहित हो जांय।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिम्मत के साथ केन्द्र सरकार को यह कहना चाहिए था कि इतना बड़ा राज्य कभी भी एक प्रशासन से नहीं संभल सकता इसलिए आपके उत्तर प्रदेश को कम से कम दो या चार भागों में अवश्य बांट देना चाहिए था, प्रशासन की दृष्टि से। मैं समझता हूं कि आज आपकी वहां पर सरकार है वहां पर राष्ट्रपति शासन है, इसलिए आप दृढ़ता के साथ निर्णय लें, वहां से बार बार यह मांग आ रही है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से राष्ट्रपति शासन इन राज्यों में आया है तब से वहां के दशा में कहीं किस तरह का कोई सुधार नहीं आया है।

अब दो-चार बातों की ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके लिए यह छोटी बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए यह एक महत्व की बात है। यह चारों राज्य जो है ये "क" श्रेणी में आते हैं। यहां पर हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, वे हमको सपोर्ट करेंगे। यादव जी मैं आपका नाम ले रहा हूं और आपके पीछे जो बैठे हैं वे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। ये चारों राज्य "क" श्रेणी में आते हैं भाषा की दृष्टि से जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो राज्यों की "क", "ख" और "ग" तीन श्रेणियां बनीं। "क" श्रेणी के राज्य वे राज्य हैं जिन राज्यों की भाषा हिन्दी है और उनको केन्द्र के साथ पत्राचार भी हिन्दी में ही होना चाहिए। यह एक छोटी सी बात आपके लिए हो सकती है लेकिन मेरे लिए यह महत्व की बात है, इसलिए कि यह संविधान की संकल्प है कि किसी भी राज्य को जो "क" श्रेणी में आता है उसको केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्राचार करना चाहिए। लेकिन जब से वहां पर राष्ट्रपति शासन हुआ है, मैंने सुना है कि वहां के अधिकारियों से कि आपका पत्राचार वहां अंग्रेजी में हुआ करता है। क्यों? इसका अर्थ यह है कि वहां की जनता विदेशी भाषा की दास बनी रहे। महोदय, मैं तो चाहता हूं कि हर प्रांत की अपनी भाषा हो। इसीलिए जब कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ के लिए कह दिया कि सारा काम हमारा कन्नड़ में होगा तो हमने सबसे पहले बधाई का तार उनको भेजा और मैंने सोचा कि हर राज्य में इस कानून का अनुकरण होना चाहिए।

मैं तनाव की बात कह रहा हूं। साम्प्रदायिक तनाव की जब मैंने बात कही, वहां पर इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। चारों राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, वह बाबरी मस्जिद को लेकर करना पड़ा। बड़ा जघन्य कार्य हुआ जिसके कारण पूरी दुनिया में हमारा माथा झुक गया। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि चारों राज्यों में इसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका हल आपने क्या निकाला? लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को कभी यह हिम्मत नहीं हुई कि इस सदन में या उस सदन में पूरी तरह से किसी बात को कह सकें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप विनियोग विधेयक पर जवाब देने लगें तो आप बताएं कि आपके कार्यक्रम क्या हैं। आप किस तरह से वहां सदभाव पैदा करना चाहते हैं। हमारे नेता तो सदभावना यात्रा पर निकल गए हैं और दिल्ली छोड़ कर के निकल गए यह कह कर निकल गए कि जब तक मंडल आयोग का कार्यान्वयन नहीं होगा मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी लाश यहां

[श्री सुशील बरोंगपा]

लौट कर आएगी। क्या आप का कोई नेता इस तरह से कह सकता है? आप तो मखोल उड़ा सकते हैं इन बातों का लेकिन इतिहास का पुरुष कभी बौना नहीं होता है। इतिहास का जो पुरुष होता है उसको सनकी और पागल कहा जाता है लेकिन इतिहास बाद में उसी को याद करता है। मैं तो देख रहा हूं जो भी सिलसिला है वह केवल व्यक्तियों का नहीं पूरी सरकार का सिलसिला बौनेपन का सिलिसिला है। मैं यह देख रहा हूं कि पूरी सरकार आपस के झगड़े-झंझटों में इस कदर लगी हुई है कि इन राज्यों को किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारे एकाध साथी बोल सकते हैं लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इन चार राज्यों में आप चुनाव कब कराएंगें? इसकी घोषणा विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए आपको करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की अवधि आपको और नहीं बढ़ानी चाहिए, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने दिन तक आप वहां हैं, कुछ आप विशेष कार्यक्रम की घोषणा कर दीजिए। अच्छा होगा यदि आप आज ही कर के जाएं।

रहिए जहां में जब तलक इन्सां की शान से,
वरना कफ़न उठाइए, उठिए जहान से।

तो आपको यह मौका मिला है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप राष्ट्रपति शासन को वरदान समझ सकते हैं, मैं समझता हूं राष्ट्रपति शासन आपके लिए अभिशाप हो गया है क्योंकि भविष्य में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं वह उम्मीदें भी आपकी समाप्त हो रही हैं। हमारे मित्र आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कहा और भाई मालवीय जी ने भी कहा कि आप वहां राजभवन को कांग्रेस का कार्यालय बनाए हुए हैं और कांग्रेस के ऐसे नेता जिनकी बुद्धि का भरोसा किसी भी रूप में वहां के लोगों को भी नहीं है, उनको बड़े पदों पर बैठा कर राजभवन को कांग्रेस कार्यालय बना कर आप राष्ट्रपति शासन चलाएंगे तो संविधान को आप कलंकित करेंगे, देश को कलंकित करेंगे और जनतंत्र को कलंकित करेंगे। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि मुख्य तौर से मैंने विनियोग विधेयक की चर्चा में ग्रामीण विकास की बातें कहीं हैं और जो मैंने 11 प्वाइंट आपके सामने रखे हैं इस संबंध में राज्यों में रचनात्मक और क्रियात्मक कदम उठाएंगे और यहां उनकी घोषणा करेंगे। धन्यवाद।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के एप्रोप्रियेशन बिलों के संबंध में विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्र का बहुत बड़ा प्रदेश है। उसका आबादी के लिहाज़ से और लम्बाई-चौड़ाई के लिहाज़ से विशेष स्थान देश में ही नहीं बल्कि दुनियां के बहुत से देशों से यह बड़ा प्रदेश है। मैं इससे पहले कि दूसरे प्रदेशों के बारे में कुछ निवेदन करूं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के लगभग 40-42 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त तात्कालिक तौर पर किसानों, मजदूरों और गावों में रहने वाले बंधुओं के लिए पीने के पानी, उनकी फसलों का इन्तजाम करना बहुत आवश्यक है। यह जो बिल आया है, आज जो तात्कालिक और इमीडियेट कनसर्न की

बात है, वह बहुत ही आवश्यक है। अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने बहुत शक ज़ाहिर किया है कि इस बिल के मातहत जो रुपया लिया जा रहा है, स्वीकार कराया जा रहा है, उसका मिसयूज होगा। मैं कहना चाहता हूं, इस संदर्भ में अगर गौर से देखें, चतुर्वेदी जी जिस पार्टी के हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी। बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ उत्तर प्रदेश में अब तक परम्परा यह थी कि एक सरकार आती है और उसकी जो प्लानिंग के, योजना के, विकास के कार्य जारी रहते हैं जब दूसरी कोई सरकार आती है, उसी पार्टी की हो या और पार्टी की हो तो वह उन योजनाओं को जो चालू रहती है, सबसे पहले पूरा करती है जिससे कि लगा हुआ रुपया व्यर्त और बेकार न जाए चूंकि यह रुपया यह धनराशि राष्ट्र की, प्रदेश की होती है। इसमें नागरिकों के टैक्स से आया हुआ धन होता है। उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप गौर से देखें पिछली सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी जिसके मुख्य मंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी थे उन्होंने किया क्या, कि जो हमारी सरकार ने योजनाएं चालू कर रखी थी, जो करीब-करीब पूरी होने वाली थी उन सारी योजनाओं को तो छोड़ दिया, ठप्प कर दिया तथा और नयी योजनाएं चलाने की उन्होंने स्कीम बनायी, प्लान बनायी, बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेने का सोचा। लेकिन वे यह सब भूल गए। मन्दिर-मस्जिद के झगड़ें में पड़कर जो हमारी योजनाएं थी उनको छोड़ दिया। नयी योजनाएं ले नहीं पाए। तो सारे प्रदेश के अंदर करोड़ों का धन जो सरकार का था वह बरबाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि वे पुरानी योजनाएं चूंकि कांग्रेस सरकार की थीं, उनको पूरा नहीं करना चाहते थे। नयी अपनी चला नहीं पाए, शुरुआत नहीं कर पाए और मन्दिर मस्जिद के झगड़े में पड़कर सरकार चली गई। इससे ज्यादा गलत इस्तेमाल करने वाली सरकार किसकी हो सकती है। वह बी०जे०पी० की हो सकती है।

मिसाल के तौर पर मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में ही सेवर जहांगीरपुर में एक चीनी मिल बन रही थी जिसमें करोड़ों की राशि से कारखाने का बहुत सारा सामान, मशीनें आदि सब आ गए। उसका 50 परसेंट से ज्यादा काम पूरा हो गया और वहां के किसानों में घोषणा कर दी गई कि अगले सीजन में आपका गन्ना लेकर हम आपके गन्ने से चीनी बनाएंगे। उस एरिया के लोगों ने, जिले के लोगों ने गन्ना बड़े पैमाने पर बोया। लेकिन वैसे ही कल्याण सिंह जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस मिल को ठप्प कर दिया। इस मिल की, कारखाने की मशीनों को उठा करके दूसरी जगह ले गए। कोई धनराशि उसको नहीं दी। आज दिन तक यह मिल ज्यों का त्यों पड़ा है। आज इस सरकार से मैंने आग्रह करके कहा कि उसको कुछ दिया जाए। इस तरह की योजनाएं चला करके पिछली सरकार ने करोड़ों रुपया बरबाद किया जिससे देश और प्रदेश के अंदर प्रगति नहीं हुई। यही नहीं अभी कह रहे थे कि हमारी सब कमेटियों में कांग्रेसी लोग भरे जा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि बी०जे०पी० की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितनी कमेटियों बनी थीं उनको एक कलम से बर्खास्त कर दिया। यहां तक कि म्यूनिसपल कमेटी में जो दो-दो मेम्बर नामीनेट थे उनको भी खत्म कर दिया और अपने मेम्बर्स बैठा दिए। राशन की दुकानों के जो होल्डर्स थे अगर वे

[चौधरी हरि सिंह]

बी०जे०पी० के लोग नहीं थे, दूसरी पार्टी के लोगों से ताल्लुक रखते थे, स्वतंत्र थे या उनके खेमे के नहीं थे तो उन सबकी राशन की दुकानें खत्म कर दी गई और अपने लोगों को दे दी गई। राशन की दुकानें अपने आर०एस० एस० के बंधुओं को, जो बी०जे०पी० के जो ट्रेडर्स बंधु थे उनको दे दी गयीं। इससे ज्यादा क्या कमेटी की बात कहते हैं ये जो साथीगण कह रहे थे। सारे प्रदेश में आप जायजा लीजिए। मैं कहना चहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश में चाहे वह जमीन टाउन एरिया की थी, नोटीफाइड एरिया की थी, म्यूनिसपल बोर्ड की थी, मन्दिर के पास जगह पड़ी हुई थी सबमें उसने, बी०जे०पी० के लोगों ने कहीं आर०एस०एस० के स्कूल बनवा दिए, कहीं व्यायामशाला बनवा दी। एक-एक दिन में सबके पट्टे कर दिए गए। मथुरा के अंदर साक्षी बाबा को जमीन दे दी गई, कहीं ऋतम्भरा को दे दी, कहीं किसी को जमीन दे दी। यह सारा पावर का मिसयूज हुआ। इससे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने तो कभी नहीं किया यह मैं कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : कुछ तो किया।

चौधरी हरि सिंह : यह सुनकर ताज्जुब होगा मालवीय जी कि इतने थोड़े वर्ष में, इतने थोड़े वक्त में इससे ज्यादा अन्याय किसी ने भी नहीं किया जितना बी०जे०पी० की सरकार ने किया। आर्थिक तौर पर मैं कहना चाहता हूं। हमारे चतुर्वेदी जी ट्रांसफर्स की बात कह रहे थे। कल्याण सिंह जी ने सारे प्रदेश में 6 बार ट्रांसफर बड़े पैमाने पर किए। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आप जिले-जिले में जाकर देखें तो अभी तक उनका सैट-अप डिस्टर्ब नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग तिलमिलाए फिर रहे हैं, सारी दूसरी पार्टियों के लोग तिलमिलाए फिर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। अधिकारी वर्ग एक ही दल से जुड़े हुए हैं। उनकी धारणा भी इसी तरह की है। वे बदलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी अपने मुताबिक चल रही है और कहते हैं कि राजभवन में कांग्रेस का दफ्तर हो गया है। आपके बी०जे० पी० के राज में क्या होता था मालूम है। आर० एस० एस० के दफ्तर में चिट लेकर लोग आते थे, तब मंत्रीगण और मुख्य मंत्री जी काम करते थे। यह आर०एस०एस० और उनकी जो एक्स्ट्रा एजेंसीज थीं, वह बी०जे०पी० की सरकार पर हावी थीं। मान्यवर, यह आपका अमल रहा है।

तो खैर में इस बात पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान) मान्यवर, क्या फरमाया आपने ।।... (व्यवधान)

श्री राम दास अग्रवाल (राजस्थान) : खूब बोलिए इसी पर, हमें भी अच्छा लगता है।

चौधरी हरि सिंह : इसलिए कि इसमें आपका यह सब तमाशा निकल जाएगा अब की बार—आप बड़े खरे बनते हैं ना, इसलिए सुना रहा हूं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : सच्चाई अच्छी लगती है हमको।

चौधरी हरि सिंह : इसीलिए कह रहा हूं कि पता लग जाए कि आईन्दा इस तरह से न करें। तो मान्यवर, मैंने इसलिए कहा कि बी०जे०पी० के लोग आज दोष लगाते हैं... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Hari Singh Ji, don't answer the interruptions.

चौधरी हरि सिंह : मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस वक्त हमारे प्रदेश के अंदर जो बुनियादी चीज है—अभी कह रहे थे कि हमारी जवाहर रोजगार योजना दिखाई नहीं पड़ी, शंकर दयाल सिंह जी अभी फरमा रहे थे। अगर गौर से देखें, तो पिछले शासन ने इन सब को ठप्प कर दिया था। अब नए गवर्नर का राज्य आया है, या राष्ट्रपति जी का शासन है, कांग्रेस के केन्द्रीय सरकार के शासन में आने पर यह सब योजनाएं शुरू हुई हैं, वरना यह सारा जो ग्रामीण भाइयों के मकान का काम, आपका जवाहर रोजगार योजना का काम, यह सारे का सारा, ऋण का कोई सवाल ही नहीं रहा, बैंकों से किसी हरिजन को, दलित को, गरीब भाई को, किसी उद्योग, स्वःरोजगार की सारी योजनाएं ठप्प। अब वे नए सिरे से चलनी शुरू हुई है।

यह जो राष्ट्रपति के शासन में आप देखते हैं कि बुनकर भाई कितने परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने घोषित की है और उससे सारे देश के अंदर एक नया पैगाम गया है। इस बात के लिए कि बेचारे गरीब लोग जिनका हस्त का जो सदियों पुराना हमारा धंधा है, उसको वे मेनटेन कर सके, चला सकें जिससे फारेन एक्सचेंज भी आता है। यह किसने किया है?

यह केन्द्र सरकार ने किया है। तो जो यह शक करते हैं कि यह रुपया जो है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा, यह उनका भ्रम है। यह सरकार एक-एक पैसा ठीक से इस्तेमाल करेगी और यह चुनौतियां भी आपके सामने सूखा की और बाढ़ की आई थीं, उनको कितनी होशियारी के साथ, कितनी मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया कि आज हिंदुस्तान में कोई यह नहीं कह सकता कि बाढ़ से पीड़ितों का कोई अच्छा प्रबंध नहीं हुआ। यह सब कुशलता इस कांग्रेस की है और केन्द्रीय सरकार की है कि वह इस बात में चुस्त रही।

तो मान्यवर, मैं ज्यादा बात में न जाते हुए यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के अंदर जो प्रदेश हैं, उनके अंदर नया जीवन आया है। अब लगता है कि सार्वभौमिक सरकार सब लोगों की सरकार है। उस वक्त लगता था कि एक दल-विशेष की और वह भी एक विशेष विचारधारा के लोगों की सरकार है।

आज गांव से लेकर शहर तक का कामन आदमी राज्यपाल के पास जाकर अपनी बात कह सकता है, सुन सकता है और मिल सकता है। एक जमाना वह था कि हम जैसा आदमी उनसे बात नहीं कर सकता था, मिल नहीं सकता था, मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो गया, यह कह नहीं सकता था।

तो, मान्यवर, इन अल्फाज के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसके द्वारा जो धन स्वीकृत किया जाना है, यह बहुत उपयोग में आएगा, इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा और वक्त के मुताबिक, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्षजी, यह चार विधेयक एक साथ प्रस्तुत किए गए, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक संख्यांक (2) और इसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।

[श्री मोहम्मद सलीम]

यह जगह नहीं हैं कि हम इस विधेयक के बारे में बात करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि हमें यहां चर्चा करनी पड़ रही है। हमारी पार्टी की यह खुली राय है और नीतिगत तरीके से भी हम धारा 356 के विरोध में है और हम यह चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार, चुनी हुई विधान सभा इस बारे में निर्णय ले,. लेकिन मुझे अफसोस है, स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी स्थिति हमारे देश में पैदा हुई जहां संविधान, लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता की नीति, इसे बरबाद करने को तुले हुए हैं। जिस कारण से आज हम यहां पर बैठ करके इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, उस कारण को दूर करने के लिए अफसोस इस बात का है कि जो सरकार यहां दिल्ली में विधेयक प्रस्तुत कर रही है, जो व्यवस्था उन्हें लेनी चाहिए थी, वह नहीं ले रही है और जिसके कारण आज राष्ट्रपति शासन वहा चार राज्यों में लागू हुआ है, उनकी कुछ जिम्मेदारी थी कि संविधान के प्रति जिनकी आस्था नहीं, लोकतंत्र के अधिकार के ऊपर जिनकी आस्था नहीं, ऐसी सरकार ने, जिसने वहां पर गलत कारनामे किए थे, उसे अनडन करने के लिए, उसे सही करने के लिए आपके ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ी थी। इस सदन की भी यह जिम्मेदारी है। आपने बड़े ढोल पीट कर यह कहा कि चार स्टेट्स पर एड-वाइजरी कमेटी बनाएंगे वह डेलीगेशन आफ पावर, लेकिन उस कमेटी की बैठक नहीं बुलाते और कुछ आफिसर्ज के ऊपर आपने पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी हैं। उससे पहले आपको जो डी-कम्युनलाइज़ करना चाहिए था, जो हमारे बंधुगणों ने भा०ज०पा० की उन सरकारों को हाथ में लेते हुए जो किया था, वहां से उसको खत्म करना चाहिए था, आप वह नहीं कर पाए। तो आज भी इस बात का पता चलता है जब भी कोई ऐसा मसला आता है, कोई सवाल आता है, खास कर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, हम यह देखते हैं, अभी आप देखिए, हमारे शंकर दयाल जी कह रहे थे अयोध्या कांड, वह अपनी चर्चा के अंतिम समय पर आ कर बोले, मैं वही से शुरू करता हूं कि जिस वजह से हमें वहां पर सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा आज जो लिबरहैन जो कमीशन आप बनाए हैं, वह क्या करेंगे कि जो बर्बादी वहां 6 दिसंबर को अयोध्या में की गई और बर्बादी करने के लिए जो लोग वहां पर लाए गए देश के चारों ओर से उसे ढूंढ निकालने के लिए कुछ कांस्टेबल्स चाहिए, एस०आई० चाहिए, ए०एस०आई० चाहिए। हमारी सरकार यह कह रही है कि उनके पास है नहीं, जो उस कमीशन को सहायता करने के लिए दी जा सके। इससे आपकी जो राजनैतिक इच्छाशक्ति है उस पर संदेह लगती है। इन चारों राज्यों में चाहे वह भा०ज०पा० सरकार के जाते समय हो या राष्ट्रपति शासन लगाते समय हो, उसके बाद हो, जो सांप्रदायिक दंगे भड़के, पुलिस का जो रवैया रहा, उसको सही ढंग से आपको जो ढूंढ निकालना चाहिए था कि कसूरवार कौन हैं, जिसे नुकसान पहुंचा है उसे फिर से रिहैबिलीटेट करने का जो सवाल था, या जो इन्नोसेंट लोग पकड़े गए थे, उनको न्याय दिलाने की जो बात थी और जिन्होंने अन्याय किया उन्हें सजा दिलाने की जो बात थी, वह काम आप नहीं कर पाए। विकास के काम को जिस तेजी से करना चाहिए था इन चार राज्यों में वह आपकी जिम्मेदारी थी। जो काम भा० ज०पा० के जमाने में वहां ठप्प पड़ गए थे उन्हें भी आपने फिर चालू नहीं

किया और थोड़ा बहुत जो चल रहा था उसे भी सुधारने की कोशिश नहीं किए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): एक काम ठप्प हो गया था कि वहां ट्रांसफर में रिश्वत नहीं ली जा रही थी... (**व्यवधान**) मगर इस सरकार ने उस ठप्प काम को चालू कर दिया।

श्री मोहम्मद सलीम: मैं उस पर आता हूं। आप घबराइए मत। आपकी रिश्वत के बारे में भी आ रहा हूं, उनकी रिश्वत के बारे में भी आ रहा हूं। यहां पर ऐसा है कि चार राज्यों के बारे में अगर अलग-अलग जिक्र करते हैं और कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो साधारण हैं, चारों राज्यों में हैं, जो पूरे देश भर में हैं, जो कांग्रेस और भा०ज० पा० की देन हैं, मैं उसके बारे में पहले कह दूं। उसके बाद ये चार राज्यों की जो विशेष-विशेष समस्यायें हैं उसके बारे में ध्यान दिलाऊंगा। यह अच्छा हुआ कि वित्त मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। वहां सरकार तो गृह मंत्रालय से चला रहे हैं तो उनको भी जरा तवज्जो देनी चाहिए। आज जब वहां विकास का काम ठप्प है और जो समस्या पैदा हुई है तो जहां पर आपकी गृह मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के गांवों में, सरकार वहां जनता के पास, सरकार का मतलब सदन नहीं है, विधान सभा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, जो हैड कांस्टेबल है या दारोगा है, उसको वह सरकार समझते हैं और वह पूरी तौर पर अपना काम कर रहे हैं। इन चार राज्यों में जहां हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी बसती है, करीब-करीब आधी आबादी बसती है, इन चारों राज्यों में जो समस्या है वह समस्या हमारे पूरे देश की समस्या का एक हिस्सा बन गया है। मैं जो बात यहां पहले कह रह था, संघ प्रिय जी आप नजर नहीं हटाइए, यह सांप्रदायिकता की बात थी कि आप कैसे निपटेंगे। सोमयज्ञ की जो परमिशन थी वह अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देना नहीं चाहते थे और आप उसे चाह रहे थे स्टेट स्पोंसर्ड यज्ञ कराने के लिए। वह जो बात विश्व हिन्दू परिषद कहेगी वही बात आप कहना चाह रहे थे। आपने उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तबादला फौरन दिल्ली से निर्देश भेज कर कर दिया आप सांप्रदायिकता से निपट पाएंगे? यही काम वह भी कर रहे थे, यही काम आप भी कर रहे हैं।... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: कंपीटीशन हो रहा है।

श्री मोहम्मद सलीम: और जब वहां पर 15 अगस्त को देश के वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार तमाम लोग जो एकता के भाव जगाने के लिए वहां पहुंचे थे, पिछले 8-9 साल से आप और इन्होंने मिल करके वहां जो जहर घोला है उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उसको आप पहले परमिशन देना नहीं चाहे, सदन में बात उठी, आप परमिशन दिलवाए और उसके बाद वहां जा कर कुछ लोग गुंडागर्दी से आप उससे निपट नहीं पाए। अभी सुबह ग्वालियर की बात उठ रही थी। मध्य प्रदेश का भी सवाल आप लीजिए। ग्वालियर में नाटक हो रहा था और कुछ लोग वहां अंदर दाखिल हो गए। यहां सदन में भी उसी तरह से गलतफहमी फैलायी जा रही थी। कहीं और कुछ गोष्ठी हुई, कुछ लोगों ने कुछ शिकायत की, हो सकता है क्योंकि वहां तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बात

[श्री मोहम्मद सलीम]

करते हैं और लोकतंत्र में सब अपनी-अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उस नाटक को आपने बंद करा दिया। पुलिस खड़ी देखती रही और जब जनता ने विरोध किया तो 20 मिनट बाद फिर वही नाटक वहां हुआ। तो जनता के मिजा को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जो दफ्तर हैं, उनको आप ठीक से काम करने दीजिए।

इसी तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। आपकी और उनकी पालिसी मिली-जुली है। उत्तर प्रदेश में जो राज्य के राष्ट्रीय उद्योग हैं, उन्हें खत्म करने के लिए, राज्य के जो निगम थे उन्हें बंद करने के लिए, उसके शेअर बेचने के बहुत-से सवाल यहां भी उठेंगे और विधानसभा में भी उठेंगे। आपकी सरकार की पालिसी भा०ज०पा० की सरकार आकर लागू कर रही थी। भा०जा०पा० की सरकार चली गई और आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया, लेकिन वह काम चलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश के जो राज्य निगम हैं, उनके कर्मचारी मूवमेंट कर रहे हैं, संघर्ष के रास्ते पर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार चलानेवाले लोग और पलायनवादी लोग दोनों इस मामले पर एक राय हैं। वहां जो केन्द्रीय राष्ट्रीय उद्योग थे, उनमें शेअर बेचने में 3,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और राज्य के जो पी०एस०यूज० थे, उनमें घोटाला हुआ। वह आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने उसे नहीं देखा। अब मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहां गृह मंत्रीजी ने जब इन चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और फिर से उसे 6 महीने के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी तो यहां एश्योरेंस दिया था कि सरकार कुछ जिम्मेदारी लेगी। जो कुछ गलत काम उन्होंने किए चाहे किसान गन्ने का पैसा लेने आए तो उनको गोली चलाकर मारा, चाहे भिलाई में मजदूरों ने अपनी मांग मांगी और उनको गोली चलाकर मारा, चाहे विद्यार्थी अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ायी करें उत्तर प्रदेश में गोंडा और पारसुपर में, उन्हें गोली चलाकर मारा हो, आपने यहां वायदा किया था कि अगर दोषी अफसर है तो हम उन्हें सजा दिलाएंगे। किसानों के गन्ने की जो बकाया है, उसमें जो कृषि मंत्री थे उन्होंने गलत तरीके से कहा कि सब पैसा दे दिया गया है, लेकिन आज यह हालत है कि किसानों को वह बकाया पूरे तौर पर नहीं मिला है।

इन चारों राज्यों में वहां के जो उद्योग हैं और खासकर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वहां के जो दस्तकार लोग हैं, जो हथकरघा चलानेवाले लोग हैं, उनके ऊपर आफत पड़ी है वहां तो पहले ही थी, लेकिन आपकी जो पालिसी है, उस पालिसी की तहत वह परेशानी पढ़ रही है। आपने उद्योग तो खत्म कर दिए, आप पहले ट्रांसफर इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री की तरह से चलाते थे। भा०ज०पा० ने आकर उसे मीडियम स्केल इंडस्ट्री बना दिया और आपने राष्ट्रपति शासन चालू कर के उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना दिया। इन चार राज्यों में ये सबसे फायदेमंद इंडस्ट्री है, ट्रान्सफर इंडस्ट्री, आपके पालिटिकल ग्रुप्स राजभवन के आसपास घूमते हैं। एक तरफ से ट्रांसफर आर्डर निकलता है, फिर जो आफिसर हैं उनके पास दूसरा ग्रुप पहुंचता है ट्रांसफर रद्द करने के लिए। इस तरह ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ पैसा, फिर ट्रांसफर रद्द करवाने के लिए कुछ पैसा, फिर पुनः पहाल करने के लिए कुछ पैसा। यह

उद्योग बड़ा फायदेमंद है, लेकिन इससे यह होता है कि विधेयक में जो अरबों-करोड़ों रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, वह पैसा ज्यादातर वहीं पर खर्च हो जाता है। यह बहुत फायदेमंद इंडस्ट्री है, मैं यह बात कहूं तो गलत नहीं होगा और इन चार राज्यों में यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मुझे डर है कि उत्तर प्रदेश में बहुत-से सूबे अभी बचे हुए हैं, कहीं यह नेशनलाइज न हो जाए। इन चार राज्यों में जो बीमारी थीं, वह नेशनलाइज हो गई चाहे वह कम्युनलिज्म हो, चाहे कास्टिज्म हो, चाहे करप्सन हो या क्रिमिनलिज्म आफ पालिटिक्स हो, इसे नेशनलाइज कर दिया गया है और अब कहीं ये ट्रांसफर इंडस्ट्री भी नेशनलाइज न हो जाय, यह मुझे डर है।

महोदय, कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है? जिन लोगों ने यह वायदा किया था कि भयमुक्त समाज देंगे, उन्होंने वहां पर सब लोगों को भयभीत किया और आज भी भय की स्थिति है। मैं अभी पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में था। वहां 30 जिलों के सूखाग्रस्त होने की लिस्ट निकली, लेकिन मैं बिजनौर जिले में था और वहां के लोग कह रहे थे कि सूखा है। कलेक्टर की रिपोर्ट वक्त पर नहीं पहुंची। यह आपकी योग्यता है। आप उसे सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रहे हैं। वहां के किसानों के ऊपर रेवेन्यू की अदायगी के लिए अब भी वहां दौडधूप चल रही है। जो सरकार की सुविधाएं हैं, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, चूंकि हर साल सूखा पड़ता है सिंचाई की जरूरत पड़ती है, सबसे करप्ट प्रेक्टिसेस इरिगेशन डिपार्टमेंट में है जिन राजनीतिक लोगों की व्यवस्था करते हैं वह दफ्तर के आसपास घूमा करते हैं और वहां पर ठेका दिलाने का काम चलता है। ठेका तो हर साल मिल जाता है, पैसा भी जो है वह खर्च हो जाता है, लेकिन जो बांध बनना चाहिए, जो नहर बननी चाहिए थी, जो पम्पसैट लगना चाहिए थे, वह नहीं होते। अगर कहीं पम्पसैट लगाया गया तो वह काम नहीं करता, नहर है तो पानी नहीं है।

महोदय, मध्यप्रदेश में आज यह स्थिति है कि वहां पर स्कूल हैं नाम के, अगर विद्यार्थी है तो शिक्षक नहीं है। आज मध्यप्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हजारों पद रिक्त पड़े है। वहां मैनेजमेंट कमेटी और ऐसी कमेटी बनाकर, कहा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा है कानूनन, लेकिन वहां दाखिले के समय पैसा ले रहे हैं, चाहे किसी नाम पर लिया जा रहा हो। जो शिक्षित नौजवान है उनकी ऐसे केन्द्र की जा रही है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि 300/- या 400/- रुपए या 500/- रुपए लेकर आप पढ़ाओ। इस तरह से वहां चल रहा है शिक्षा का काम।

यहां तक परिवार नियोजन का काम आप देखें, स्वास्थ्य विभाग का काम देखें तो परे देश की छवि बिगड़ी हुई है, लेकिन जो एवरेज बिगड़ रही है वह इन चार राज्यों में बिगड़ रही है। वहां पर करप्ट प्रेक्टिसेस चल रही है। जो काम वहां पर होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह लोग बहुत बात करते हैं। जो 90 जिले आइडेंटिफाई किए है 1991 की सेंसस के मुताबिक, उसमें 80 से ज्यादा जिले तो इन राज्यों के हैं। यहां पर परिवार नियोजन का आंकड़ा जरूर दिखाया जाता है,

[श्री मोहम्मद सलीम]

लेकिन काम नहीं होता । उसे अच्छे ढंग से लागू करने के लिए जो कुछ कोशिश होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है । हम चाहते हैं कि वह कोशिश आप सही ढंग से करवाएं ।

बिजली की स्थिति पूरे उत्तर भारत में यह है कि हम अभी शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे और हमको वहां छह मीटिंग जनरेटर में करनी पड़ी । कहीं भी बिजली नहीं थी और बिजली न होने के कारण लोग वहां परेशान है, चाहे वह किसान हो या दुकानदार हो ।

इसी तरह आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो जो ट्रेड यूनियन के अधिकार है, आपकी पुलिस और आपके कलेक्टर उसको तोड़ रहे हैं । जिस तरह वह से भा०ज०पा० के द्वारा शिक्षित हुए हैं, जैसे वहां के कर्मचारियों पर हमला किए थे, उसी तरह आज भी ट्रेड यूनियन की बात या मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की बात मजदूर जब बोल रहे हैं तो पुलिस उन पर हमला कर रही है ।

हम बहुत बात पर्यावरण के बारे में करते हैं । हिमाचल में राष्ट्रपति शासन चल रहा है । आप शिमला शहर में जाकर खड़ें हो और देखें तो पता लगेगा कैसे कैसे आबादी वहां बस रही है, पूरे पेड़ काटकर के पहाड़ साफ करके फैलाया जा रहा है और हरियाली सारी खतम कर दी गई है । वहां बंगले बन रहे हैं। यहां हम सदन में बात करते हैं पर्यावरण की इकोलोजिकल बैलेन्सेस की और वहां पर अभी भी प्रकृति का नाश हो रहा है पूरे उत्तर भारत में । इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? सरकार खुद कर रही है यह काम । पेड़ काट कर पूरे पहाड़ को साफ कर दिया गया ।

मैं जो कह रहा था लोकतांत्रिक अधिकार का, तो जैसे मध्यप्रदेश में पहले तोड़े वह आज भी चालू है । अभी 28 तारीख को वहां पर मीटिंग के लिए परमीशन मांगी गई कि वी.पी. सिंह जी, हरिकिशन सिंह सुरजीत जी और दूसरे नेतागण संबोधित करेंगे, लेकिन एकता की बात वह सुनना नहीं चाहते, एकता की बात करने देना नहीं चाहते, वह रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया । वहां 28 अगस्त को मीटिंग हो, यह आपकी सरकार नहीं चाहती । आप कौनसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आपके कलेक्टर, आपकी पुलिस यह नहीं चाहती कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है वह वहां जाएं और अपनी बात बोलें ।

आदिवासियों की बात, महोदय, आपको मालूम होगा कि आजादी के पूरे 46 साल के अंदर उनकी क्या स्थिति है । मध्यप्रदेश की जो ट्राइबल पापुलेशन है, वहां भा.ज.पा. की सरकार ने क्या किया था बस्तर में ? यह कि जो ट्राइबल के बारे में बात कर रहे थे, जो जंगल को उजाड़ने के ठेकेदार है, राजनीतिक ठेकेदार उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको पकड़कर नंगा करके शहर में नचाया गया । आज भी आप यह जो ठेकेदार, कांट्रेक्टर, फोरेस्ट आफीसर, पुलिस और पोलिटिशियन का नेक्सस है, उसको तोड़ नहीं पाए । तेन्दु पत्ता डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में जो उनके जमाने से करप्शन चल रहा है वह अभी भी चल रहा है ।

उसको ढूंढ कर आप निकाल नहीं पाए। आज भी डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में, तेन्दू पत्ता के बारे में आपकी कोई विशेष भूमिका नहीं है।

सबसे आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि शंकर गुहा नियोगी, ट्रेड यूनियन लीडर को उनके दौर में जो मारा गया था, उसके हत्यारों में एक अभी तक भाग हुआ था और सी.बी.आई. कोशिश कर रही थी उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने भी कई बार यहां आवाज उठाई थी, वह किसी दूसरे केस में अब पकड़ा गया है। वह अपहरण के केस में पकड़ा गया था, पलटन या पहलवान जो भी है, वह हत्या के कार्य-कर्त्ताओं में एक है। होम मिनिस्टर साहब, इधर तवज्जुह दीजिए, मजदूरों की बात कर रहे थे, उनकी हत्या की गई। यह जिसके जमाने में हत्या की की गई, उनकी सरकार नहीं चाह रही थी कि जो हत्याकारी है, जिन मालिकों ने हत्या करवाई, वह पकड़े जाएं। और इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सी०बी०आई० के जरिए आप जांच करवा रहे थे, सी०बी०आई० टीम के हाथ में पुलिस गोरखपुर में उनको पकड़कर दे। तो अभी आप यह भिलाई की जांच और उसके जो हत्यारे है, उनको सजा दिलाने के लिए आप सही कदम उठाएं। हत्यारे सिर्फ एक नहीं है, चाहे वह भोपाल, जयपुर और उत्तर प्रदेश के फसाद के हत्यारे हों, चाहे वह मजदूर या रामकोला के किसान के हत्यारे हों, चाहे वह पारसपुर के विद्यार्थी के हत्यारे हों, उनको आप सही ढंग से पहचानेंगे और सही सजा देंगे। मैं यह मांग करूंगा और जो विकास का काम ठप्प पड़ा है, उसे चालू करने के लिए आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।

†[شری محمد سلیم، پشچمی بنگال: مانیئے اپ سبھا ادھکیش جی۔ یہ چار ودھیک ایک ساتھ پرستت کئے گئے۔ اتر پردیش دنیوگ سنکھیک "۲" اور اسی طرح سے مدھیہ پردیش راجستھان۔ ہماچل پردیش۔

یہ جگہ نہیں ہے کہ ہم اس ودھیک کے بارے میں بات کریں۔ لیکن دربھاگیہ کی بات ہے کہ ہمیں یہاں چرچہ کرنی پڑ رہی ہے۔ ہماری پارٹی کی یہ کھلی رائے ہے اور ہم نیتی گت طریقہ سے بھی ہم دھارا ۳۵۶ کے ورودھ میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چنی ہوئی سرکار۔ چنی ہوئی ودھان سبھا اس بارے میں نرنے لے۔ لیکن مجھے افسوس ہے سوتنترتا کے بعد ایک ایسی استھتی ہمارے دیش میں پیدا ہوئی جہاں سمودھان لوک تنتر۔ دھرم نرپیکشتا کی نیتی۔ اسے برابر کرنے کو تلے ہوئے ہیں۔ جس کارن سے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اس ودھیک پر چرچا کر رہے ہیں۔ اس کارن کو دور کرنے کے لیے افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرکار یہاں دلی میں ودھیک پرستت کر رہی ہے۔ جو ذمہ داری انھیں لینی چاہیے تھی۔ وہ نہیں لے رہی ہے اور جس کے کارن آج راشٹرپتی شاسن وہاں چار راجیوں میں لاگو ہوا ہے ان کی کچھ ذمہ داری تھی کہ سمودھان کے پرتی جن کی آستھا نہیں۔ لوک تنتر کے ادھیکار کے اوپر جن کی آستھا

† *Transliteration in Arabic Script.*

اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ کچھ کانسٹیبلس چاہیں۔ ایس۔ آئی۔ چاہیے۔ اے۔ ایس۔ آئی چاہیے۔ ہماری سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ انکے پاس ہے نہیں جو اس کمیشن کو سہایتا کرنے کے لیے دی جا سکے۔ اس سے آپ کی جو راجنیتک اچھا شکتی ہے اس پر سندیہہ لگتی ہے۔ ان چاروں راجیوں میں۔ چاہے وہ بھاجپا سرکار کے جاتے سمے ہو یا راشٹرپتی شاسن لگاتے سمے ہو اس کے بعد ہو۔ جو سامپردایک دنگے بھڑکے۔ پولیس کا جو رویہ رہا اس کو صحیح ڈھنگ سے آپ کو جو ڈھونڈ نکالنا چاہیے تھا کہ قصوروار کون ہیں۔ کیسے نقصان پہنچا ہے۔ پھر سے ری۔ ہیبلیٹیٹ کرنے کا جو سوال تھا۔ یا جو انوسینٹ لوگ پکڑے گئے تھے ان کو نیائے دلانے کی جو بات تھی اور جو اپنرادھ کیے انھیں سزا دلانے کی جو بات تھی وہ کام آپ نہیں کر پائے۔ وکاس کے کام کو جس تیزی سے کرنا چاہیے تھا ان چار راجیوں میں وہ آپ کی ذمّہ داری تھی۔ جو کام بھاجپا کے زمانے میں ٹھپ پڑ گئے تھے انھیں بھی آپ نے پھر چالو نہیں کیا اور تھوڑا بہت جو چل رہا تھا اسے بھی سدھارنے کی کوشش نہیں کیے۔

شری سنگھ پریہ گوتم: ایک کام ٹھپ ہو گیا تھا کہ وہ ٹرانسفر میں رشوت نہیں لی جا رہی تھی "مداخلت"... وہ چالو کر دیا۔

نہیں۔ ایسی سرکار نے جس نے وہاں پر غلط کارنامے کیے تھے اسے انسٹڈن کرنے کیلئے۔ اسے صحیح کرنے کے لیے آپ کے اوپر ایک ذمّہ داری پڑی تھی۔ اس سدن کی بھی یہ ذمّہ داری ہے۔ آپ نے بڑے ڈھول پیٹ کر یہ کہا کہ چار اسٹیٹس پر ایڈوائزری کمیٹی پائیں گے۔ وہ ڈیلیگیشن آف پاور۔ لیکن اس کمیٹی کی بیٹھک نہیں بلاتے اور کچھ نیسرس کے اوپر آپ پوری ذمّہ داری چھوڑ دیے ہیں۔ اس سے پہلے جو ڈی۔ کیمونیلائز کرنا چاہیے تھا۔ جو ہمارے بندھوگن بھاجپا کے۔ ان سرکار کو ہاتھ میں لیتے ہوئے جو کیے تھے وہاں سے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ آپ وہ نہیں کر پائے تو آج بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے۔ کوئی سوال آتا ہے۔ خاص کر اتر پردیش میں۔ مدھیہ پردیش میں یا راجستھان میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے شنکر دیال جی کہہ رہے تھے ایودھیا کانڈ۔ وہ اپنی چرچا کے انتم سمے پر آ کر کہے۔ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جس وجہ سے ہمیں وہاں پر سرکار کو بھنگ کر کے راشٹرپتی شاسن لاگو کرنا پڑا۔ آج جو "لبرہن جو کمیشن آپ بنائے ہیں وہ کیا کریں گے۔ کہ جو بربادی وہاں ٦ دسمبر کو ایودھیا میں کیا گیا۔ اور بربادی کرنے کے لیے جو لوگ وہاں پر لایا گیا۔ دیش کے چاروں اور سے

شری محمد سلیم : میں اس پر آتا ہوں۔ آپ گھبرائیے مت آپ کی رشوت کے بارے میں بھی آرہا ہوں۔ ان کی رشوت کے بارے میں بھی آرہا ہوں۔ یہاں پر ایسا ہے کہ چار راجیوں کے بارے میں اگر الگ الگ ذکر کرتے ہیں اور کچھ سمسیائیں ایسی ہیں جو سادھارن ہیں چاروں راجیوں میں ہیں جو پورے دیش بھر میں ہیں۔ جو کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی دین ہیں میں اس کے بارے میں پہلے کہدوں۔ اس کے بعد یہ چار راجیوں کی جو وشیش وشیش سمسیائیں ہیں اس کے بارے میں دھیان دلاؤں گا۔ یہ اچھا ہوا کہ وِتّ منتری کے ساتھ گرہ راجیہ منتری بھی یہاں اپستھت ہیں۔ وہاں سرکار تو گرہ منترالیہ سے چلا رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا توجہ دینی چاہیے آج جب وہاں دکانوں کا کام ٹھپ ہے اور جو سمسیا وہاں پیدا ہوئی ہے تو جہاں پر آپ کی گرہ منترالیہ کی جو ذمہ داری ہے اتر پردیش۔ راجستھان۔ مدھیہ پردیش یا ہماچل پردیش کے گاؤں میلن سرکار وہاں جنتا کے پاس ـــ سرکار کا مطلب سدن نہیں ہے۔ ودھان سبھائیں نہیں ہے۔ منتری بھی نہیں ہے۔ جو ہیڈ کانسٹیبل یا جو داروغہ ہے اس کو وہ سرکار سمجھتے ہیں۔ اور وہ پورے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان چار راجیوں میں جہاں ہمارے دیش کی آدھے سے زیادہ آبادی بستی ہے۔

قریب قریب آدھی آبادی بستی ہے۔ ان چار راجیوں میں جو سمسیا ہے وہ سمسیا ہمارے پورے دیش کی سمسیا کا ایک حصّہ بن گیا ہے۔ میں جو بات یہاں پہلے کہہ رہا تھا۔ سنگھ پر یہ بھی آپ نظر نہیں ہٹائیے ۔ یہ سامپردائیکتا کی بات تھی۔ آپ کیسے نپٹیں گے سوم یگیہ کی جو پرمیشن تھی وہ ایودھیا کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دینا نہیں چاہتے تھے اور آپ اسے چاہ رہے تھے اسٹیٹ اس پر نسرڈ یگیہ کرانے کے لیے وہ جو بات وشو ہندو پریشد کہے گی وہی بات آپ کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے اس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا تبادلہ فوراً دلّی سے تردیش بھیج کر کردیا۔ آپ سامپردائیکتا سے نپٹ پائیں گے۔ یہی کام وہ بھی کر رہے تھے یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں ... "مداخلت" ...

ایک ماننیہ سدسیہ : کمپٹیشن ہو رہا ہے۔

شری محمد سلیم : اور جب وہاں پر ۱۵/ اگست کو دیش کے وگیانک۔ کلاکار۔ سائتیہ کار تمام لوگ جو ایکتا کے بھاؤ جگانے کے لیے وہاں پہنچے تھے پچھلے ۹-۸ سال سے آپ اور یہ دونوں مل کر کے وہاں جو زہر گھولے ہیں۔ اس کو تھوڑا دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس

سے سوال یہاں بھی اٹھیں گے اور ودھان سبھا میں بھی اٹھیں گے۔ آپ کی سرکار کی پالیسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار اگر لاگو کر رہی تھی۔ بھاجپا کی سرکار چلی گئی اور آپ نے راشٹرپتی شاسن لاگو کیا لیکن وہ کام چلتا جا رہا ہے۔ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے جو راجیہ نگم ہیں ان کے کرمچاری گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ سنگھرش کے راستے پر ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سرکار چلانے والے لوگ اور پلائن وادی لوگ دونوں اس معاملے پر ایک رائے ہیں۔ وہاں جو کیندریہ راشٹریہ ادیوگ تھے ان میں شیئر بیچنے میں ۳۴۰۰ کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا اور راجیہ کے جو پی۔ ایس۔ یوز تھے ان میں گھوٹالہ ہوا۔ وہ آپ کی ذمہ داری تھی لیکن آپ نے اسے نہیں دیکھا اب میں ان باتوں کو دوہرانا نہیں چاہتا لیکن یہاں گرہ منتری جی نے جب ان چار راجیوں میں راشٹرپتی شاسن لاگو کیا گیا تھا اور پھر سے اسے چھ مہینے کیلئے بڑھانے کی بات کہی گئی تھی تو یہاں ایشورنس دیا گیا تھا۔ کہ سرکار کچھ ذمہ داری لے گی۔ جو کچھ غلط کام انھوں نے کئے چاہے کسان گنے کا پیسہ لینے آئے تو ان کو گولی چلا کر مارا۔ چاہے بھلائی میں مزدوروں نے اپنی مانگ مانگی اور ان کو گولی چلا کر مارا۔ چاہے ودیارتھی اپنی شکشا کے ادھیکار کے لیے لڑائی کریں۔ اتر پردیش کو آپ پہلے پرمیشن دینا نہیں چاہتے۔ سدن میں بات اٹھی۔ آپ پرمیشن دلوائے اور اسکے بعد وہاں جاکر کچھ لوگ غنڈہ گردی سے آپ اس سے نپٹ نہیں پائے۔ ابھی صبح گوالیار کی بات اٹھ رہی تھی۔ مدھیہ پردیش کا بھی سوال آپ لیجیے۔ گوالیار میں ناٹک ہو رہا تھا اور کچھ لوگ وہاں اندر داخل ہو گئے۔ یہاں سدن میں بھی اسی طرح سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی تھی۔ کہیں اور کچھ گوشٹھی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کچھ شکایت کی۔ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں اور لوک تنتر میں سب اپنی اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس ناٹک کو آپ نے بند کرا دیا۔ پولیس کھڑی دیکھتی رہی اور جب جنتا نے وروودھ کیا تو ۲۰ منٹ بعد پھر وہی ناٹک وہاں ہوا تو جنتا کے مزاج کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کے جو دفتر ہیں۔ ان کو آپ ٹھیک سے کام کرنے دیجیے۔

اس طرح سے پبلک سیکٹر یونٹس ہیں آپ کی اور ان کی پالیسی ملی جلی ہے۔ اتر پردیش میں جو راجیہ کے راشٹریہ ادھیوگ ہیں انھیں ختم کرنے کے لیے راجیہ کے جو نگم تھے انھیں بند کرنے کے لیے اس کے شیئر بیچنے کے بہت

میں گونڈا اور پارس پور میں انھیں گولی چلا کر مارا ہو۔ آپ نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ اگر دوشی افسر ہیں تو ہم انھیں سزا دلائیں گے۔ کسانوں کے گنے کی جو بقایہ ہے اس میں جو کرشی منتری تھے انھوں نے غلط طریقہ سے کہا کہ سب پیسہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ کسانوں کو وہ بقایا پورے طور پر نہیں ملا ہے۔

ان چاروں راجیوں میں وہاں کے جو ادیوگ ہیں اور خاص کر جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں۔ وہاں کے جو دستکار لوگ ہیں۔ جو ہتھ کرگھا چلانے والے لوگ ہیں۔ ان کے اوپر آفت پڑی ہے۔ وہاں تو پہلے ہی تھی۔ لیکن آپ کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے وہ پریشانی بڑھ رہی ہے۔ آپ نے ادیوگ تو ختم کر دیے۔ آپ پہلے ٹرانسفر انڈسٹری کو کاٹیج انڈسٹری کی طرح چلاتے تھے۔ بھاجپا نے آکر اسے میڈیم اسٹیٹ انڈسٹری بنا دیا اور آپ نے راشٹرپتی شاسن لاگو کر کے اسے لارج اسکیل انڈسٹری بنا دیا۔ ان چار راجیوں میں یہ سب سے فائدہ مند انڈسٹری ہے۔ ٹرانسفر انڈسٹری۔ آپ کے پولیٹیکل گروپس راجیوں کے آس پاس گھومتے ہیں۔ ایک طرف سے ٹرانسفر آرڈر نکلتا ہے۔ پھر جو آفیسر ہیں انکے پاس دوسرا گروپ پہنچتا ہے ٹرانسفر رد کرنے کے لیے۔ اس طرح ٹرانسفر کروانے کے لیے کچھ پیسہ پھر ٹرانسفر رد کرانے کے لیے کچھ پیسہ پھر انھیں بحال کرنے کے لیے کچھ پیسہ یہ ادیوگ بڑا فائدہ مند ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ودھے یک میں جو اربوں۔ کروڑوں روپیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پیسہ زیادہ تر وہیں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت فائدہ مند انڈسٹری ہے۔ میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا اور ان چار راجیوں میں یہ بات بڑی انڈسٹری ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اتر پردیش میں بہت سے صوبے ابھی بچے ہوئے ہیں کہیں یہ نیشنلائز نہ ہو جائیں۔ ان چار راجیوں میں جو یہ بیماری تھی وہ نیشنلائز ہو گئی چاہے وہ کمیونلزم ہو۔ فاشسزم ہو۔ چاہے کرپشن ہو یا کرمنلزم آف پولیٹیکس ہو اسے نیشنلائز کر دیا گیا ہے اور اب کہیں یہ ٹرانسفر انڈسٹری بھی نیشنلائز نہ ہو جائے یہ مجھے ڈر ہے۔

ہو رہے۔ قانون اور ویوستھا کی کیا استھتی ہے - جن لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھے مکت سماج دیں گے۔ انھوں نے وہاں پر سب لوگوں کو بھے بھیت کیا اور آج بھی بھے کی استھتی ہے میں ابھی پچھلے دنوں اتر پردیش میں تھا وہاں ۳۰ ضلعوں

کے سوکھا گرستھ ہونے کی لسٹ نکلی۔ لیکن میں بجنور ضلع میں تھا اور وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سوکھا ہے۔ کلکٹر کی رپورٹ وقت پر نہیں پہنچی یہ آپ کی یوگیتا ہے۔ آپ اسے سوکھا گرستھ نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں کے کسانوں کے اوپر ریوینیو کی ادائیگی کے لیے اب بھی وہاں دوڑ دھوپ چل رہی ہے۔ جو سرکار کی سویدھائیں ہیں۔ چاہے سینچائی کی سویدھا ہو۔ کیونکہ ہر سال سوکھا پڑتا ہے۔ سینچائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے کرپٹ پریکٹیسس اری گیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہے۔ راج نیتک جو لوگ ولو ستھا کرتے ہیں وہ دفتر کے آس پاس گھوما کرتے ہیں اور وہاں پر ٹھیکہ دلانے کا کام چلتا ہے۔ ٹھیکہ تو ہر سال مل جاتا ہے۔ پیسہ بھی جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو باندھ بننا چاہیے جو نہر بننی چاہیے تھی جو پمپ سیٹ لگنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوتے۔ اگر کہیں پمپ سیٹ لگایا گیا تو وہ کام نہیں کرتا۔ نہر ہے تو پانی نہیں ہے۔

مہودے۔ مدھیہ پردیش میں آج یہ استھتی ہے کہ وہاں پر اسکول ہیں نام کے۔ اگر ودیارتھی ہیں تو شکشک نہیں ہیں۔ آج مدھیہ پردیش میں پرائمری اور مادھیمک اسکولوں میں ہزاروں پد رکت پڑے ہیں۔ اتر پردیش اور راجستھان میں بھی ہزاروں پد رکت پڑے ہیں۔ وہاں مینجمنٹ کمیٹی اور ایسی کمیٹی بنا کر کہا جاتا ہے کہ ودیارتھیوں کے لیے نیشلک شکشا ہے قانوناً۔ لیکن وہاں داخلہ کے لیے پیسہ لے رہے ہیں۔ چاہے کسی نام پر لیا جا رہا ہو۔ جو شکشت نوجوان ہیں ان کی ایسی قدر کی جا رہی ہے۔ انھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تین سو یا چار سو روپیہ یا پانچ سو روپے لے کر آپ پڑھاؤ۔ اس طرح سے وہاں چل رہا ہے شکشا کا کام۔

یہاں تک پریوار نیوجن کا کام آپ دیکھیں۔ سواستھ وبھاگ کا کام آپ دیکھیں تو پورے دیش کی چھوی بگڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو ایوریج بگڑ رہی ہے وہ ان چار راجیوں میں بگڑ رہی ہے۔ وہاں پر کرپٹ پریکٹیسز چل رہی ہے۔ جو کام وہاں پر ہونا چاہیے۔ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بہت بات کرتے ہیں۔ جو ۹۰ ضلع آئی۔ ڈینٹی فائی کیے ہیں ۱۹۹۱ کی سینسس کے مطابق۔ اس میں ۸۰ سے زیادہ ضلع تو ان راجیوں کے ہیں۔ یہاں پر پریوار نیوجن کا آنکڑا ضرور دکھایا جاتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ اسے اچھے ڈھنگ سے لاگو کرنے کے لیے جو کچھ کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ

کوشش آپ صحیح ڈھنگ سے کروائیں۔

بجلی کی استھتی پورے اتر بھارت میں یہ ہے کہ ہم ابھی شنیوار اور رویوار کو اتر پردیش میں پشچمی اتر پردیش کا دورہ کر رہے تھے اور ہم کو وہاں کچھ میٹنگ جنریٹ کرنی پڑیں۔ کہیں بھی بجلی نہیں تھی اور بجلی نہ ہونے کے کارن لوگ وہاں پریشان ہیں چاہے وہ کسان ہوں یا دوکاندار ہوں۔

اسی طرح آپ ہماچل پردیش میں دیکھیں گے کہ جو ٹریڈ یونین کے ادھیکار ہیں آپ کی پولیس اور آپ کے کلکٹر اسے توڑ رہے ہیں۔ جس طرح وہاں سے بھاجپا کے دوارا شکست ہوئے ہیں۔ جیسے وہاں کے کرمچاریوں پر حملہ کیے تھے اسی طرح آج بھی ٹریڈ یونین کی بات یا منیمم ویج ایکٹ لاگو کرنے کی بات مزدور جب بول رہے ہیں تو پولیس ان پر حملہ کر رہی ہے۔

ہم بہت بات پریاورن کے بارے میں کرتے ہیں۔ ہماچل میں راشٹرپتی شاسن چل رہا ہے۔ آپ شملہ شہر میں جاکر کھڑے ہوں اور دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے آبادی وہاں بس رہی ہے۔ پورے پیڑ کاٹ کر کے پہاڑ صاف کر کے پھیلایا جا رہا ہے اور ہریالی ساری ختم کر دی گئی ہے۔ وہاں بنگلے بن رہے ہیں۔ یہاں ہم سدن میں بات کرتے ہیں پریاورن کی۔ اکولوجیکل بیلنس کی اور وہاں پر ابھی بھی پرکرتی کا ناش ہو رہا ہے۔ پورے اتر بھارت میں۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ سرکار خود کر رہی ہے یہ کام۔ پیڑ کاٹ کر پورے پہاڑ کو صاف کر دیا گیا۔

میں جو کہہ رہا تھا لوک تانترک ادھیکار کا۔ تو جیسے مدھیہ پردیش میں پہلے توڑے وہ آج بھی چالو ہیں۔ ابھی ۲۸ تاریخ کی وہاں پر میٹنگ کے لیے پرمیشن مانگی گئی کہ وی۔ پی۔ سنگھ جی۔ ہرکشن سنگھ سرجیت جی اور دوسرے نیتاگن سمبودھت کریں گے۔ لیکن ایکتا کی بات وہ سننا نہیں چاہتے۔ ایکتا کی بات کرنے نہیں دینا چاہتے وہ ریکویسٹ رجیکٹ کر دیا گیا۔ وہاں ۲۸ اگست کی میٹنگ ہو یہ آپ کی سرکار نہیں چاہتی۔ آپ کون سے لوک تنتر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے کلکٹر۔ آپ کی پولیس یہ نہیں چاہتی کہ جو دھرم نرپیکش

طاقت ہے وہ وہاں جائیں اور اپنی بات بولیں۔

آدی واسیوں کی بات۔ مہودے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی کے پورے ۴۶ سال کے اندران کی کیا استھتی ہے۔ مدھیہ پردیش کی جو ٹرائبل پاپولیشن ہے وہاں بھاجپا کی سرکار نے کیا کیا تھا بستر میں یہ کہ جو ٹرائبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جو جنگل کو اجاڑنے کے ٹھیکیدار ہیں۔ راجنیتک ٹھیکیدار ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر ننگا کر کے شہر میں نچایا گیا۔ آج بھی آپ یہ جو ٹھیکیدار۔ کانٹریکٹر۔ فاریسٹ آفیسر۔ پولیس اور پولیٹیشین کا نیکسس ہے اس کو توڑ نہیں پائے۔ تیندو پتہ ڈسٹری بیوشن کے بارے میں جو ان کے زمانے سے کرپشن چل رہا ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کو ڈھونڈ کر آپ نکال نہیں پائے۔ آج بھی ڈسٹری بیوشن کے بارے میں۔ تیندو پتہ کے بارے میں آپ کی کوئی وشیش بھومیکا نہیں ہے۔

سب سے آخر میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شنکر گوھا نیوگی۔ ٹریڈ یونین لیڈر کو ان کے دور میں جو مارا گیا تھا اس کے ہتیاروں میں ایک ابھی تک بھاگا ہوا تھا اور سی۔ بی۔ آئی کوشش کر رہی تھی اس کو پکڑنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے بھی کئی بار یہاں آواز اٹھائی تھی۔ وہ کسی دوسرے کیس میں اب پکڑا گیا ہے۔ وہ اپہرن کے کیس میں پکڑا گیا تھا۔ پلسٹن یا پہلوان جو بھی ہے وہ ہتیاؤں کے کاریہ کرتاؤں میں ایک ہے۔ ہوم منسٹر صاحب ادھر توجہ دیجیے۔ مزدوروں کی بات کر رہے تھے ان کی ہتیا کی گئی۔ یہ جس کے زمانے میں ہتیا کی گئی ان کی سرکار نہیں چاہ رہی تھی کہ جو ہتیا کاری ہیں۔ جن مالکوں نے ہتیا کروائی وہ پکڑے جائیں۔ اور اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سی۔ بی۔ آئی کے ذریعہ آپ جانچ کروا رہے تھے۔ سی۔ بی۔ آئی ٹیم کے ہاتھ میں پولیس گورکھپور میں انھیں پکڑ کر دے۔ تو ابھی آپ یہ بھلائی کی جانچ اور اس کے جو ہتیارے ہیں ان کو سزا دلانے کے لیے آپ صحیح قدم اٹھائیں ہتیارے صرف ایک نہیں ہیں۔ چاہے وہ بھوپال۔ جے پور۔ اور اتر پردیش کے فساد کے ہتیارے ہوں چاہے وہ مزدور یا رام کولا کے کسان کے ہتھیارے ہوں۔ چاہے وہ پارسپور کے ددیارتھی کے ہتھیارے ہوں ان کو آپ صحیح ڈھنگ سے پہچانیں گے اور صحیح سزا دیں گے۔ میں یہ مانگ کروں گا کہ جو وکاس کا کام ٹھپ پڑا ہے اسے چالو کرنے کے لیے آپ دھیان دیں گے۔]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मारा दुर्भाग्य है कि जिन चार राज्यों के विषयक हम लोग विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिनकी वजह से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 का पालन करना अनिवार्य समझा गया । पिछलि बार भी मार्च, 1993 में हमने इसी विधेयक पर चर्चा की थी और आज फिर इन्हीं राज्यों के संबंध में विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । इसके दौरान चालू वर्ष के समय कुल अनुमानित खर्च को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बारे में 1,831.06 करोड़ रुपए की कुल राशि शामिल है, मध्य प्रदेश के बारे में 9,978.68 करोड़ रुपए की कुल राशि शामिल है, उत्तर प्रदेश के बारे में 19,734.81 करोड़ रुपए की कुल राशि शामिल है और राजस्थान के संबंध में 7,711.11 करोड़ रुपए की कुल राशि शामिल है ।

मान्यवर, जब भी हम किसी प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले हम उस प्रदेश की माली हालत के बारे में जानते हैं, उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि वह प्रदेश डेफिसिट में चल रहा होता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बोलना चाहूंगा । यदि हम 1 अप्रैल, 1992 को मध्य प्रदेश की डेफिसिट पोजीशन क्या थी रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नजरों में, उस पर जाएं तो हम पाएंगे कि यह 260.74 करोड़ रुपए थी और जब हम एक साल के बाद 1 अप्रैल, 1993 की हालत देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह घटकर 164.51 करोड़ रुपए पर आ गई और जब हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया के हिसाब से 5-8-93 की ओवर ड्राफ्ट की पोजीशन मध्य प्रदेश की देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह घटकर मात्र 7.15 करोड़ रुपए हो गई । हालांकि यह कोई संतोष का विषय नहीं है, हम अभी भी यह मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश अभी भी ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में है, लेकिन इसमें निरंतर कमी आ रही है । जो ओवर ड्राफ्ट की स्थिति अप्रैल, 1992 में थी, उससे घटकर अप्रैल 1993 में हुई और अब यह और घटकर 8वें महीने 1993 में हुई । यह इस बात का संकेत है कि उस समय जो पार्टी ताकत में थी, उसने उस प्रदेश की माली हालत सुधारने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन प्रारम्भ हुआ तो उस प्रदेश की माली हालत में कुछ सुधार हुआ, उस प्रदेश पर जो ओवर ड्राफ्ट था, उसमें कुछ कमी आई । मान्यवर, मार्च, 1993 को हमने इसी मध्य प्रदेश के लिए 5,022.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति की दी । 1992-93 के लिए जो स्वीकृति हुई थी एन्युअल प्लान में वह 2400 करोड रुपए की हुई थी और यह दो भागों में रहती थीं—एक तो स्टेट ओवन रिसोर्सिज क्या हैं और दूसरे सेंट्रल सपोर्ट क्या है । स्टेट ओवन रिसोर्सिज जो थे, उस समय 1,181.12 करोड़ रुपए हमनें आंके थे और 1,212.88 करोड़ रुपए हमने सैंट्रल सपोर्ट से लिए थे ।

लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एन्युअल प्लान जो 1993–94 का बना है, यद्यपि यह 2400 करोड़ रुपए

[श्री सुरेश पचौरी]

ही राशि थी, लेकिन इसमें जो स्टेट ओन रिसोर्सिज हैं, वह 1106.53 करोड़ रुपए है। लेकिन हमने इसमें सेंट्रल सपोर्ट 1293.47 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है, जो इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार की मंशा यह है कि जहां राष्ट्रपति शासन लगा है, जिन राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है, जिन राज्यों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का ओवर-ड्राफ्ट है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। इसीलिए जो सेंट्रल सपोर्ट है वह हम लोगों ने बढ़ाया है, उसकी राशि में हम लोगों ने बढ़ोत्तरी की है। लेकिन इसके अतिरिक्त वेरियस केटेगरीज का जो एंटाइटिलमेंट है, जो सेंट्रल असिस्टेंस का अलग-अलग केटेगरीज ट्रांसफर होता है, उसमें जो एलोकेशन था और जितना पैसा रिलीज किया जाना था वह उतना नहीं हो पा रहा है। जब हम इस विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा, विशेष रूप से वैसे वित्त राज्य मंत्री जी से जो यहां उपस्थित हैं, कि जो नार्मली सेंट्रल असिस्टेंस मध्य प्रदेश के लिए 510.08 करोड़ रुपए का एलोकेशन है और अभी तक जो 199.25 करोड़ रिलीज हुआ है, इसमें समानता आनी चाहिए, उसमें विषमता नहीं आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए 120 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, अभी तक 59.24 करोड़ रुपए ही रिलीज किया गया है। इसमें भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से जो स्मॉल सेविंग्स और लोन हैं, यह 275 करोड़ रुपए के एलोकेटेड हैं और इसमें जो अभी तक रिलीज किया गया है वह 52.47 करोड़ है। इसलिए इस विषमता को दूर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब हम विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा मेरा निवेदन है।

जब हम प्रमुख बिन्दुओं पर जाते हैं, 1993-94 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किन बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान दिया है, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इण्डस्ट्रीज और मिनरल्स के मामले में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इसका जो पैसा था वह 77.02 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1993-94 के लिए 91.28 करोड़ किया है। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के ग्रोथ सेंटर भी बढ़ाने के लिए इन्होंने पहल की है। जो खादी एवं विलेज कार्यक्रम, इंडस्ट्री का जो कार्यक्रम है, "ग्रामरथ" कार्यक्रम है, उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने की इसमें पहल की गई है। शिक्षा को बढ़ोत्तरी मिले, इसको ध्यान में रखते हुए जो 1992-93 में 184.43 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वह बढ़ाकर 1993-94 में 213.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार से 10 कॉलेज के लिए बिल्डिंग बनाने का प्रावधान अभी के वर्तमान बजट में रखा गया है। मान्यवर, जो सबसे बड़ी बात हुई है, वह शैड्यूल्ड कॉस्ट और शैड्यूल्ड ट्राईब्स के लिए है। मध्य प्रदेश में शैड्यूल्ड कॉस्ट लोग बहुसंख्यक में हैं जिनका 14.55 प्रतिशत है और शैड्यूल्ड ट्राईब्स लोगों का 23.27 प्रतिशत है। बैकवार्ड क्लासेज का 0.48 प्रतिशत है। उनके हितों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ स्कीम लांच की हैं और उनके लिए 1992-93 में 59.61 करोड़ रुपए

का जो प्रावधान था, वह बढ़ाकर 69.82 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी हो, लोगों को........ (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): जब दो-तीन महीने ही वहां राज्य चलाना है तो इसके लिए कितना रुपया देंगे ?

श्री सुरेश पचौरी: अभी रुपया देने दीजिए। हो सकता है कि अगर आप सबकी इच्छा हो जाए तो बढ़ जाए।

तो स्वास्थ्य में प्रोपर केयर हैल्थ को ध्यान में रखते हुए जो 1992-93 के लिए 61.29 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वह बढ़ाकर 1993-94 के लिए 76.44 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह एक अच्छी शुरूआत है। मान्यवर, इसके साथ-साथ और भी अलग दूसरे डिपार्टमेंट में कदम उठाए गए हैं। जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो बजट एस्टीमेट 1992-93 में 5 करोड़ रुपए था, वह बढ़ाकर 6.92 करोड़ रुपए हो गया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

स्पोर्टस और यूथ अफेयर्स में जहां पहले 2 करोड़ का बजट था, उसे 1993-94 में बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बजट बढ़ाया गया है ताकि ग्रामीण विकास से संबंधित जितने कार्यक्रम हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके और ग्रामवासियों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ताकि ग्रामीणजन लाभान्वित हो सकें। उसके लिए पहले 1992-93 में 5.13 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट था जिसको बढ़ाकर 1993-94 के बजट में 54.72 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार माईनर इरिगेशन स्कीम्स का बजट 152.5 करोड़ था जिसे 1993-94 के लिए बढ़ाकर 158.35 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही पावर के अंतर्गत जहां पिछले साल के लिए 732.14 करोड़ का प्रावधान था, उसे इस साल के लिए बढ़ाकर 742 करोड़ कर दिया गया है। यह एक अच्छा कदम है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं।

महोदय, रोड्स और ब्रिजों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ी दर्दनाक हो गई थी। उसके लिए जो 1992-93 में 65 करोड़ का प्रोविजन था, उसे 1993-94 में बढ़ाकर 73 करोड़ कर दिया गया है। यह एक अच्छा कदम है। इसी प्रकार साइंस ऐंड टैक्नोलोजी और ऐनवॉयरमेंट के बजट एस्टीमेट भी पिछले साल की तुलना में बढ़ाए गए हैं। यह भी एक अच्छा कदम है। यह सारी बातें इस बात का संकेत देती हैं कि राज्यों में आर्थिक स्थिति अच्छी हो, विशेष रूप से इन राज्यों में जहां राष्ट्रपति शासन है और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा जो एक सार्थक और सराहनीय पहल की गई है, जहां मैं उसकी सराहना करता हूं, उसके साथ-साथ मैं कुछ निवेदन आपके माध्यम से इस सरकार से करना चाहता हूं।

पिछले समय जब हम ने विनियोग विधेयक पर चर्चा की थी तो मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित लोगों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए थे। मैंने उस समय यह कहा था कि भोपाल

[श्री सुरेश पचौरी]

गैस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों के लिए जो 7 वर्षीय ऐक्शन प्लान 371.29 करोड़ रुपए का था, उसका भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही वहां के लोगों को गैस के जो लांग टर्म इफैक्ट हो रहे हैं, उस सिलसिले में जो मेडिकल फैसिलिटीज कंटीन्यू करने का वचन केंद्रीय सरकार ने दिया था और बेरोजगार साथियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जो स्कीम्स चलाने की बात केंद्रीय सरकार ने कही थी, उस वचन को पूरा करना अनिवार्य है ।

महोदय, इस साल जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं था हालांकि पिछली बार उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इंटरिम रिलीफ जो 31 मार्च, 1993 से मिलनी बंद हो गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भोपाल गैस कांड से प्रभावित लोगों को इंटरिम रिलीफ देने का आदेश दिया है, वह उन लोगों को नहीं मिल पा रही है । ऐसी कुछ पेचीदा अड़चनें उसमें डाल दी गई हैं कि लोगों को फार्म तक नहीं मिल पा रहे हैं और फार्म उपलब्ध न होने की वजह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे वे वंचित हो रहे हैं । तो निश्चित रूप से जब हम विनियोग विधेयक पर यहां चर्चा कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि जिस मद में जो पैसा दिया गया है, वह पैसा उसी मद में खर्च हो । भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों को जो पैसा केंद्रीय सरकार की तरफ से दिया गया था, उसका उपयोग दूसरी मदों में किया गया है । उसकी जांच की जानी आवश्यक है । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भोपाल गैस कांड से प्रभावित लोगों को इंटरिम रिलीफ समय पर मुहैया कराई जाए और उसके लिए जो बंधन लगाया गया है प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, इसकी वजह से उन लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इंटरिम रिलीफ से भी वंचित हो रहे हैं । साथ ही जिन लोगों पर लांग टर्म इफैक्ट पड़ रहा है, वे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

इसलिए जब हम विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रपोजल भेजा है उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों के लिए जो एनुअल प्लान था, सात वर्षीय ऐक्शन प्लान था, उसके तहत कितना पैसा दिया जाना चाहिए, इसका जिक्र नहीं है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछली बार जब हमने इस मुद्दे को उठाया था और माननीय मंत्री श्री मूर्ति जी ने जो उत्तर दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 31 मार्च, 1993 के बाद जो इंटरिम रिलीफ बंद की जा रही है, वह बंद नहीं की जाएगी । उन्होंने दोनों जगह यह आश्वासन दिया था लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हो पाई है ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जो वायदा उन्होंने किया है इस फोरम पर, उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाना बहुत आवश्यक है । साथ ही इन प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहां से विभिन्न मदों के लिए दिए गए पैसे को ठीक प्रकार से खर्च न करने के कारण जर्जर हो गई थी, उसको सुधारने की दिशा में समुचित और पर्याप्त कदम उठाना आवश्यक है । इस बात पर विचार

किया जाना आवश्यक है कि आखिर इन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्यों दर्दनाक हो गई ?

क्यों दयनीय हो गई, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्व वक्ताओं ने जिसका संकेत किया कि पैसे का दुरुपयोग अपनी ताकत को बढ़ाने में किया जा रहा है । अपने आर०एस०एस के पट्ठों को, आर०एस०एस० के द्वारा संचालित अलग अलग संस्थाओं को वित्तीय मदद देने के लिए किया जा रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इन राज्यों में शासन कर रही थी, उसके सत्ता के केन्द्र आर०एस०एस० के कार्यालय थे । जो ये आज कहते हैं कि ये कांग्रेस भवन बने हुए है, यह आरोप निराधार है जब कि वस्तुतः बात यह है कि जो आर०एस०एस० के आफिस थे वह भारतीय जनता पार्टी के सत में थे, वह सत्ता के केन्द्र बने हुए थे । वहां पर उन आफिसों में जाकर उस समय के तमाम मंत्री दिशा निर्देश लेते थे और उन आदेशों का पालन करते थे । मैं कोई राजनीतिक बात यहां पर नहीं करना चाहता । लेकिन चूंकि यह बात यहां उठाई गई थी, इसलिए उस आरोप को निराधार साबित करने के लिए मैं यह बात उठाना चाहता हूं ।

महोदय, मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करता हूं कि जब हम यह विनियोग विधेयक पास कर रहे हैं तो यह सोचना आवश्यक है कि इन प्रदेशों में धर्मान्धता, कट्टरता को बढ़ावा दिया गया है । यहां पर सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया है जिससे बेगुनाह लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है । इसलिए इन प्रदेशों में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन प्रदेशों के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय शासन की है, यह जरूरी है कि इस पैसे का सही रूप में उपयोग हो और यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ इन चारों राज्यों के लिए जो विनियोग विधेयक यहां पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री महेश्वर सिंह : जब जब आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते है तो आपके चेहरे पर खुशी की लहर होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में इन तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी । ...... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो चारों राज्यों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विनियोग विधेयक इस सदन के समक्ष विचार करने के लिए और वापस करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, मैं इस राय का हूं कि इसका अधिकार इस सरकार को नहीं देना चाहिए ।

श्रीमन, पिछले मार्च में भी इसी प्रकार के विनियोग विधेयक प्रस्तुत किए गए थे और हम लोगों ने यह समझा था कि जो 6 महीने की कार्यवधि है उसके अंतर्गत इन चारों राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव करा दिए जाएंगे और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां पर स्थापित हो जाएंगी । पिछले दिसंबर के महीने में जब कि 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई थी, वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा भंग की गई और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की जो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

सरकारें थीं वह भी भंग की गई, वहां की विधान सभाओं को भंग किया गया, उसका उस वक्त भी मैंने कोई औचित्य नहीं समझा था और आज भी उसको मैं उचित नहीं समझता हूं । अपनी अकर्मण्यता और निष्क्रियता छिपाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में संविधान के अनुच्छेद 356 को दोष दिया और कहा कि संविधान के इस 356 अनुच्छेद में भी खराबी है, इस पर भी सदन में बैठकर विचार करना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 356 में परिवर्तन या संशोधन करना चाहिए ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें थीं । वहां पर विधान सभाएं चल रही थीं । इन तीनों राज्यों की विधान सभाएं भंग करके इस सरकार ने एक असंवैधानिक काम किया । मुझे याद नहीं पड़ता पिछली मार्च को छोड़ कर आज तक कभी भी सदन में एक साथ चार विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई हो और उनको वापस कराने के लिए सरकार ने कोशिश की हो । इसके बाद क्या हुआ जब आपने चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन को स्थापित कर दिया तो जो सरकारिया कमीशन की संस्तुति थी राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में उसका आपने पालन नहीं किया और आपने चारों राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया । वे चारों राज्यपाल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । सरकारिया कमीशन ने राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में जो संस्तुति दी उसमें एक यह है कि जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए । एक राज्यपाल का तो आपने स्थानान्तरण कर दिया और बाकी तीन राज्यपालों को आपने नियुक्त किया वे सभी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता थे अपने-अपने प्रदेश में । ऐसे राज्यपालों की नियुक्ति का मतलब यह हुआ कि आपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से उन प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति की । उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल थे उनका स्थानान्तरण कर दिया उड़ीसा में । मैं समझता हूं आपका यह कार्य बिल्कुल अनुचित था । जो आपने यहां पर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किये हैं उसके जरिये आप इस सदन से अधिकार चाहते हैं कि इन चार राज्यों में धन खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए । जैसा शंकर दयाल सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था मैं भी उसी तरह से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि आप यहां पर यह आखिरी बार विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । भविष्य में आप इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे नहीं बढ़ायेंगे । इसकी आपको आज ही घोषणा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में कब विधान सभा के चुनाव कराने जा रहे हैं । क्योंकि जब तक इन राज्यों में जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा नहीं होगी, जनप्रतिनिधित्व की सरकार नहीं होगी तब तक केवल नौकरशाही के जरिये आप किसी भी प्रदेश का न कल्याण कर सकते हैं और न वहां की जनता का भला कर सकते हैं । यह भी जानकारी में आया है कि धर्म से राजनीति को अलग करने वाला विधेयक आप लाये और वह भी जल्दबाजी में लाये और उसको शायद इस सरकार को वापस करना पड़ा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो सोम यज्ञ वहां कराया गया, स्वामी जी द्वारा जो कराया गया वह सोम यज्ञ जिस पार्टी की यहां सरकार है, जो पार्टी यहां शासन में बैठी हुई है उस पार्टी के लोगों ने इस सोम यज्ञ को कराया । जब फैजाबाद के जिला अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अपनी राय दी कि उनकी राय में वहां पर सोम यज्ञ नहीं होना चाहिए इससे शांति भंग होने की

आशंका है तो उस जिला अधिकारी को बदल दिया गया । उस जिला अधिकारी का फैजाबाद से स्थानान्तरण कर दिया गया और दूसरे जिला अधिकारी को वहां भेज दिया गया । एक केन्द्रीय मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को टेलीफोन किया और उनके कहने पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उस जिला अधिकारी से सोम यज्ञ कराने की स्वीकृति देने के लिए कहा ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : यह आरोप कतई गलत है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह आरोप नहीं है । यह सत्य है ।

श्रीमती सत्या बहिन : चन्द्रशेखर जी की पार्टी के लोगों ने ..... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या यह सही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री विजय शंकर पांडे का फैजाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह श्री वर्मा को भेजा गया ।

श्रीमती सत्या बहिन : सोम यज्ञ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : एक सत्य की दूसरे सत्य से लड़ाई नहीं होनी चाहिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ऐसा है कि इधर भी सत्य है और उधर भी सत्या है । हम लोग चाहते हैं सत्य प्रकाश मालवीय और सत्या बहिन ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सत्या बहिन : मैं बिल्कुल सत्य कह रही है और सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रही हूं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ठीक है, मैं यह कहता हूं कि यह सत्य और सत्या के बीच में विवाद न हो । श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने अपनी बात सच्चाई के साथ कही है उसको हम मान लें और सत्या बहिन ने जो बात कही है उसको भी कुछ सत्य के करीब मान लें और विवाद को आगे न बढ़ायें ।

श्री चतुरानन मिश्र : शंकर जी जब यह बात कहें तो यह लागू होगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): शंकर जी का कहना ठीक है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उसके बाद वहां पर सहमत की बात आई । राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता के लिए काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के उसी अयोध्या में जब सहमत का कार्यक्रम रखा गया तो वही राज्यपाल ने प्रशासन में सहमत के कार्यक्रम को रोका और जब संसद में इस बात को उठाया गया तो 10 शर्तों के साथ वहां अनुमति दी गई । इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप सीधे सीधे राज्यपाल के जरिये से कांग्रेस का शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं । न केवल वहां का राजभवन, बल्कि भोपाल का राजभवन, हिमाचल का राजभवन और राजस्थान का राजभवन, ये चारों राजभवन कांग्रेस के दफ्तर हो गये हैं । श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी जी ने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश का जो प्लानिंग बोर्ड है उसका उपाध्यक्ष आपने किस को बनाया है ? वहां बीस सूत्री कार्यक्रम की जो समिति है उसका उपाध्यक्ष आपने किस को बनाया है ? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वे लोग जो वहां मिनिस्टर रहे हैं उनको बनाया है । क्या राज्यपाल का शासन इसलिए लागू किया है कि वहां आप अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन चलाएंगे ? आज उत्तर प्रदेश में सूखा है । 46 जिले सूखे से ग्रस्त हैं । उत्तर प्रदेश में 63 जिले हैं । 63 जिलों में से 46 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है । लेकिन कहीं पर भी सूखा राहत कार्य नहीं हो रहा है । आज

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

से दो सप्ताह पहले हमारे सहयोगी श्री राम नरेश यादव जी ने आजमगढ़ की चर्चा की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा की और यह कहा कि कहीं भी राहत कार्य नहीं हो रहा है । कहीं कोई टैस्ट फर्क नहीं हो रहा है और आज भी लोग बिना पानी के, बिना दाने के, भूख के कगार पर है । जब राज्यपाल का शासन है तो यह आपकी जिम्मेवारी है । उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर 24 घंटों में से 2 घंटे भी किसानों को बिजली नहीं मिलती है। ट्यूबवैलों को बिजली नहीं मिल रही है। वे अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश की हो गई है।

जैसे अभी चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बहुत होता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होता है । उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में कम होता है। लेकिन पिछले सत्र का, पिछले सीजन का, 131 करोड़ रुपये गन्ना किसानों के बकाया है। बेचारे गरीब गन्ना किसानों का जो छोटी आय के लोग होते हैं, यही आय का साधन होता है । उत्तर प्रदश में गरीब किसानों का 131 करोड़ रुपये बकाया है । यह निष्क्रिय और अकर्मण्य सरकार किसानों के 131 करोड़ रुपये अभी नहीं दिलवा पाई है । इसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किस बात के लिए आपको अधिकार दें ? मध्य प्रदेश में लाटरी बंद कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाटरी चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाटरी से उत्तर प्रदेश में घर के घर बर्बाद हो रहे हैं । मजदूर लोग, चाय की दुकान पर काम करने वाले लोग, स्टेशन पर कुली का काम करने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी, जैसे ही उनको पैसा मिलता है, सारा रुपया लाटरी की दुकान पर लगा देते हैं। इस उम्मीद से लगा देते हैं कि लाटरी से उन्हें और रुपया मिल जाएगा । उसके बाद घर पर उनके बच्चे भूखों मरते हैं। आप वित्त मंत्री भी है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाटरी पर बैन लगाया गया है, प्रतिबन्ध लगाया गया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाने का काम करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की सरकार ने चर्चा की है । यह अच्छा काम किया । लेकिन हमें उम्मीद थी कि डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के संबंध में इसी सत्र में केन्द्रीय सरकार विधेयक लाएगी । अब 27 तारीख को सत्र समाप्त हो रहा है लेकिन आज तक विधेयक नहीं लाया गया है । इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है । मान्यवर, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी है, अपनी स्वीकृति भी दे दी है, वहां पर आज राष्ट्रपति शासन है लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मेरी यह भी मांग है कि डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसके बारे में सरकार घोषणा कर चुकी है, उसके संबंध में इसी सत्र में एक विधेयक लाना चाहिये और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

यमहोद, उत्तर प्रदेश में बहुत असन्तोष है। इसकी अभी शंकर दयाल सिंह जी चर्चा भी कर रहे थे कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं

जिनसे उत्तर प्रदेश बड़ा है । ग्रेट ब्रिटेन से बड़ा उत्तर प्रदेश है । आज इसकी जनसंख्या करीब 14 करोड़ हो चुकी है । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जो 8-9 जिले हैं वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड या उत्तरांचल पृथक राज्य की स्थापना की जाय । आज भी जंतर मंतर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मांग कर रहे है कि पृथक बुंदेलखंड की स्थापना की जाय । पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को मिलाकर पृथक राज्य बनाया जाय । (समय की घंटी) वहां के लिये पटेल आयोग, डा० सेन कमेटी बनी लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो करीब 19 जिलें हैं वहां पर गरीबी बढ़ती ही जा रही है । इसलिये इस पर भी आपको विचार करना चाहिय कि आखिर यह असन्तोष लोगों में क्यों फैल रहा है । हमारे उत्तर प्रदेश के जो आठ पहाड़ी जिले हैं वे लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, हमारे चतुरानन जी यहां बैठे हुए हैं, उनका भी उनको समर्थन प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बारे में वहां की तत्कालीन विधान सभा से बाकायदा प्रस्ताव पास करके सर्व-सम्मति से केंद्रीय सरकार के पास भेजा है । फिर भी केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह को चिट्ठी भेजी और उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगे, विवरण मांगा । वह सारे का सारा विवरण वहां की सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया था । लेकिन केंद्रीय सरकार आज तक चुप्पी साधे बैठी है । अगर असन्तोष लोगों में बढ़ेगा तो उस असन्तोष को आप रोग नहीं सकेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये, उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिये, उत्तर प्रदेश में जो कमजोर लोग रह रहे हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, आपको स्पष्टरूप से ऐलान करना चाहिये और आश्वासन देना चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप समाप्त कीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।

महोदया, इलाहाबाद में एक योजना बनी थी । यमुना ब्रिज पर सौ करोड़ 30 लाख की यह योजना है । सिद्धांतरूप से भारत सरकार ने इसका निर्माण करना भी स्वीकार कर दिया है । भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जब यह पुल बन जायेगा तो उस पर जो व्यय हुआ है उसको पूरा करने के लिये आप चुंगी वसूल करने की अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी । चार-पांच सालों से इस योजना की बात चल रही है लेकिन पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो रहा है । इसके कारण लाखों लाख रुपये का जो पेट्रोल है, डीजल है वह नष्ट हो रहा है और वहां पर यातायात और आवागमन रुक रहा है । इसके चलते वहां पर घंटों सड़क अवरुद्ध रहती है । दूसरा वहां पर शहर में भी ऊपरी पुल बनाने की मांग जनता की ओर से है, इस ओर ध्यान दिया जाय ।

वहां पर सांसदों की एक समिति बनी हुई है, परामर्श के लिये । यह समिति उत्तर प्रदेश के लिये है, मध्य प्रदेश के लिये भी है, राजस्थान के लिये भी है और हिमाचल प्रदेश के लिये भी है । संसद सदस्य ही इसके सदस्य हैं । जहां तक मेरी जानकारी है, उस समिति की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री पर है । ये चारों समिति आपने कागज पर बना दी है लेकिन आज तक एक बार भी इस समिति की बैठक नहीं हुई । आपने वहां पर विधान सभा भंग कर दी और सांसदों की समिति कागज पर बना दी लेकिन उसकी बैठक आप बुला नहीं रहे

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

हैं इसलिये क्यों आपको इस विनियोग विधेयक के द्वारा अधिकार दिया जाय और विनियोग विधेयक को वापस करके लोकसभा में भेजा जाय । मैं अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करता हूं। यह अकर्मण्य सरकार है, निष्क्रिय सरकार है, अपना दोष छिपाने के लिए चुनी हुई विधानसभाओं को भंग करती है, चुनी हुई सरकारों को भंग करती है, इसलिए ऐसी सरकार को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिये ।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में चार राज्यों के एप्रोप्रियेशन बिलों पर चर्चा हो रही है । इन एप्रोप्रियेशन बिलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि में कुछ वाक्य कहना चाहूंगा। देश के अन्दर, प्रजातंत्र के अन्दर ऐसा समय भी आता है कि कुछ बुलबुले उठते हैं और समाप्त भी होते हैं। उन बुलबुलों की तरह ही जनता दल और बी०जे०पी० ने मिल कर चुनाव लड़ा और बी०जे०पी० की सरकारें इन चार प्रदेशों में जनता दल के सहयोग से बनी। लेकिन 6 दिसम्बर की घटना एक दर्दनाक घटना थी ।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am on a point of order. He is giving wrong information. The elections were fought by the BJP alone.

श्री मूलचन्द मीणा : क्या बात कर रहे हैं ? बी०जे०पी० और जनता दल ने मिल कर के लड़ा था ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह 1989 में चुनाव लड़ा था मिल कर के लेकिन 1991 का चुनाव मिल कर के बिलकुल नहीं लड़ा था । (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द मीणा : अस्सेम्बली का चुनाव ? गौतम जी अपने आप को ठीक कर लीजिये । मेरा काम असत्य बोलने का नहीं है, आप ही असत्य बोलते हैं (**व्यवधान**) लेकिन 6 दिसम्बर की जो घटना थी इससे देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और इस देश के विश्वास और सम्मान को आघात लगा है । अभी सत्य प्रकाश मालवीय जी यहां कह रहे थे कि गलत तरीके से विधानसभाओं को भंग किया गया। मुझे इस बात का अफसोस है मालवीय जी, 6 दिसम्बर की घटना के पहले आप यह चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भंग कर देना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर से पहले आप किस नियम के तहत गवर्नमेंट को भंग कराना चाह रहे थे ? जब देश के अन्दर आग लगी, प्रशासन ढुलमुल बना, जगह जगह मकानों को जलाया गया, बहनों और माताओं की गोदें सूनी हो गई, बच्चों के मां-बाप उनसे छीने गये, ऐसी दर्दनाक घटना जब घटी तो इन सरकारों को भंग करना पड़ा। आज आप यह कहते हैं कि यह असंवैधानिक है । एक बात और मालवीय जी ने कही कि विधेयक वापिस ले लिया गया है । विधेयक वापिस लिया है लेकिन इससे आपकी नीयत का पता लगता है कि आप क्या चाहते हैं, देश के अन्दर लोगों के लोकतंत्र पर कैसे कुठाराघात किया जाए। हम तो यह मानते हैं कि दो तिहाई बहुमत कांग्रेस के पास नहीं था लेकिन आपकी नीयत उजागर हो गई कि आप क्या चाहते हैं। विधेयक वापिस लिया है लेकिन कुछ दिन बाद फिर सदन के अन्दर लाएंगे लेकिन जो लोग झूठे नारे, झूठी बातें करते हैं, वह लोग सामने आ गये । वह लोग चाहते हैं कि देश के अन्दर लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहें और यह धर्म के नाम पर राजनीति करते रहें। लेकिन छिप कर जो यह बात करते हैं वह आज उजागर हो गई ।

महोदय, अब मैं एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर यह कहना चाहता हूं कि इस

सदन में ला एंड आर्डर के बारे में कई बार चर्चा हुई। जिस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जिसमें इस देश के अन्दर इन चारों राज्यों के अन्दर जो स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं। राज्यपालों ने काम किया है, प्रशासन को चुस्त किया है। उसी का परिणाम है कि आज हमें किसी प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक दंगे की आवाज नहीं सुनाई देती है। कहीं किसी सम्प्रदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भगाया जा रहा है इस प्रकार की बात सुनने को नहीं मिलती है।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): बम के धमाके तो सुनाई देते हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : वे भी आपके कार्यालयों में मिलेंगे, बैम के धमाके भी आपके घरों में मिलेंगे।

श्री लक्खीराम अग्रवाल : भोपाल के बाजारों में भी बम के धमाके हो रहे है राष्ट्रपति शासन में।

श्री मूलचन्द मीणा : मध्य प्रदेश के आपके बजरंग दल के कार्यालय में भी बम फटे हैं और मिले हैं। राजस्थान के अंदर भी बम फूटा है अभी नागौर के अंदर दो दिन पहले। लेकिन वहां पर एक साधु जो हिंदू धर्म का प्रचार करता था, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था, उसके पास से 6 बम निकले हैं, पाइप बम निकले हैं। नागौर के अंदर पकडे गये हैं। शायद वह बहुत बड़ी घटना उस नागौर के अंदर कर देता लेकिन सरकार, वहां के गवर्नर, वहां की पुलिस को मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस साधु को पकड़ा। ऊमा भारती के घर में भी बम फूटा है।

मैं यह कह सकता हूं कि आप लोगों का एक ध्येय रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू-मुसलमान लड़ते रहें तो हम इस लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं के अन्दर आते रहें।

श्री लक्खीराम अग्रवाल : आपने यहीं 40 साल तक किया है।

श्री मूलचन्द मीणा : इसीलिए आप ये बम रखते हैं अपने घरों में। उपसभाध्यक्ष जी..'(**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, 6 बज गये हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप एक दो मिनट में खत्म करेंगे या ..(**व्यवधान**) बाद में बोलेंगे। ठीक है। The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 25th August, 1993.

MGIPCBE—S8—1 RSS/ND/94—12-11-94—400.